



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2022-23)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2022-23

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	4
03 मंत्रिपरिषद्	6
04 न्याय प्रशासन	9
05 निर्वाचन	15
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	19
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	29
08 आबकारी	55
09 लोक सेवा आयोग	57
10 पुलिस एवं जेल	60
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	68
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	93
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	107
14 सूचना	117
15 कल्याण योजनायें	121
16 श्रम और रोजगार	140
17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	145
18 सहकारिता	153
19 ग्राम्य विकास	156
20 सिंचाई एवं बाढ़	163
21 ऊर्जा	173
22 लोक निर्माण कार्य	176
23 उद्योग	183
24 परिवहन	192
25 खाद्य	198
26 पर्यटन	202
27 वन	207
28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य	216
29 औद्योगिक विकास	223
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	228
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	251

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2022-2023 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	275
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	276
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	278
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	279
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	280

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2022-2023 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2023 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में-

- 'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।
- 'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।
- 'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियां।

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. विधान सभा				
दत्तमत	82,28,63	12,00,00	67,24,42	1,00,00
भारित	2,54,21	--	2,14,51	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	14,98,38	--	12,95,55	--
03. मंत्रिपरिषद				
दत्तमत	59,29,70	50,20,00	38,14,72	47,74,31
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	3,00,35,56	1,58,65,50	2,54,01,21	96,03,62
भारित	67,79,01	--	54,78,58	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	94,96,15	2,90,88	82,03,01	2,49,76
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	21,92,99,47	2,74,35,01	17,37,57,34	2,34,19,94
भारित	2,62,78	--	2,44,49	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	1,12,10,76,76	15,36,13,02	1,03,78,73,67	11,68,41,43
भारित	64,71,34,57	75,78,24,03	52,17,68,14	84,74,77,00
08. आबकारी				
दत्तमत	38,42,00	2,00,00	32,48,21	--
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	20,49,50	7,00,00	20,07,57	1,42,08
भारित	48,13,51	--	39,89,21	--
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	24,01,45,64	46,50,00	21,86,00,99	46,05,73
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	1,00,97,17,02	5,22,49,67	91,03,25,97	4,14,90,71
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	40,31,93,40	3,95,07,42	34,88,09,45	2,98,37,44
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	9,83,04,93	15,13,96,26	8,88,08,89	10,35,65,60
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	1,78,78,88	1,00,00	1,67,26,24	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	29,85,85,90	1,34,88,68	22,84,99,98	62,08,94
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	5,61,19,50	68,77,11	3,46,05,31	48,33,67
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान				
दत्तमत	11,93,93,55	69,20,63	9,59,41,13	44,42,28
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	1,24,79,86	87,00,00	1,12,89,60	73,00,00
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	14,11,78,62	28,87,69,38	11,56,36,18	18,51,71,56
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	5,66,31,84	7,59,87,03	4,94,17,53	3,54,94,38
भारित	3,00,00	--	41,60	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	31,30,34	4,51,44,19	16,66,64	1,32,49,34
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	10,49,43,22	15,65,80,00	9,02,35,38	12,35,13,74
भारित	10,78,30	--	6,32,56	--
23. उद्योग				
दत्तमत	3,90,61,58	1,59,56,02	3,25,25,19	1,20,39,62
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	1,72,89,57	1,89,85,78	1,54,09,97	1,39,64,72
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	2,63,29,73	3,24,00,01	1,81,43,61	3,09,86,01
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	1,34,09,26	2,23,00,03	1,20,22,63	1,91,61,40
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	8,52,76,62	90,47,40	7,61,84,31	52,60,20
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य				
दत्तमत	4,94,17,80	65,25,02	4,04,22,74	26,55,01
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	5,36,74,41	36,10,01	3,95,12,59	15,62,50
भारित	1,99,48	--	1,65,01	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	17,38,93,18	3,55,97,84	11,04,33,69	2,33,57,81
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	4,66,40,97	1,52,77,30	2,71,94,94	1,07,07,99
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	4,46,66,53,59	1,21,43,94,19	3,84,34,43,11	83,45,39,79
भारित	66,23,20,24	75,78,24,03	53,38,29,65	84,74,77,00
कुल योग	5,12,89,73,83	1,97,22,18,22	4,37,72,72,76	1,68,20,16,79

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2022-23		2021-22	
(₹ हजार में)				राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81,86,12	14,14,00	--	--	(-31.09	(-4.36	(-36.99	(-1.03
--	--	--	--	--	--	--	--
13,86,63	31,38,63	--	--	(-10.34	(-14.07	(-38.46	(-27.02
--	--	--	--	--	--	--	--
90,92,31	37,87,20	--	--	(-10.66	(-41.86	(-13.67	(-39.43
--	--	--	--	--	--	--	--
89,95,06	38,70,01	--	--	(-18.20	(-59.31	(-18.16	(-73.29
--	--	--	--	--	--	--	--
1,41,61,82	20,47,51	--	--	(-26.38	(-56.72	(-17.30	(-23.88
34,47	--	--	--	(-17.28	--	(-9.46	--
6,34,59,49	1,22,40,03	--	--	(-36.49	(-34.38	(-42.25	(-49.13
--	--	--	--	--	--	--	--
1,94,46,03	45,69,31	--	--	(-41.69	(-29.91	(-32.78	(-44.33
--	--	--	--	--	--	--	--
62,32,10,48	37,98,54,40	--	--	(-13.95	(-31.28	(-18.88	(-36.91
12,84,90,59	--	--	8,96,52,97	(-19.40	(+11.83	(-21.38	(-9.70
75,17,01,07	37,98,54,40	--	8,96,52,97	(-14.66	(-14.71	(-19.22	(-30.05

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 1,78,50,36 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2022-23 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,68,66,45 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह सम्बंधित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में ₹ 6,05,28 हजार की राशि शामिल है (यह अनुदानों के अंतर्गत भी दिखाया गया है, जिससे यह सम्बंधित है) जो 31.03.2023 तक डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़ी है। यह जानकारी राज्य सरकार के 62 सीसीओ में से 04 सीसीओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, 62 सीसीओ में से 36 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि 22 ने 31.03.2023 को अपने डीडीओ के बैंक खातों में 'शून्य' राशि की सूचना दी है।

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2022-23 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	53,38,29,65	84,74,77,00	3,84,34,43,11	83,45,39,79
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	57,25,58
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	53,38,29,65	84,74,77,00	3,84,34,43,11	82,88,14,21

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



दिनांक: 27.10.2023

स्थान: नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान सं० 01 विधान सभा				
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	
राजस्व:				
2011 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
दत्तमत-				
मूल	82,28,63			
		82,28,63	67,24,42	(-)15,04,21
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...
भारित-				
मूल	2,54,21			
		2,54,21	2,14,51	(-)39,70
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...
पूंजीगत:				
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत-				
मूल	12,00,00			
		12,00,00	1,00,00	(-)11,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...
टिप्पणियां एवं टीकायें				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i)	₹ 1,504.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	4,364.73	4,318.90	45.83
2018-19	7,234.35	6,915.19	319.16
2019-20	7,068.51	6,465.44	603.07
2020-21	6,702.44	5,974.19	728.25
2021-22	6,804.98	5,943.39	861.59

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

103 विधान मण्डल सचिवालय

03 विधान सभा सचिवालय

मूल	4,478.02	4,493.02	3,348.38	(-),144.64
-----	----------	----------	----------	------------

पुनर्वि० 15.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

राजस्व:

भारित-

(iv) ₹ 39.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	238.59	138.75	99.84
2018-19	261.32	221.88	39.44
2019-20	224.82	223.80	1.02
2020-21	237.22	232.35	4.87
2021-22	255.76	219.26	36.50

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	254.21	254.21	214.51	(-)39.70
-----	--------	--------	--------	----------

शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 1,100.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	2,020.00	1,974.12	45.88	
2018-19	3,150.00	3,145.00	5.00	
2019-20	1,560.00	1,200.09	359.91	
2020-21	1,060.00	183.32	876.68	
2021-22	1,300.00	195.00	1,105.00	

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 गैरसैण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन का निर्माण

मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2) 04 गैरसैण (भरारीसैण) में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 02 राज्यपाल		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल विनियोग			

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	14,77,33			
		14,98,38	12,95,55	(-)2,02,83
पूरक	21,05			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 7 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2023 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- (i) ₹ 202.83 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 202.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 21.05 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2017-18	1,040.07	821.64	218.43
2018-19	1,252.95	937.41	315.54
2019-20	1,293.19	930.99	362.20
2020-21	1,197.07	991.19	205.88
2021-22	1,190.68	1,108.70	81.98

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त. कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
	2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
	03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
	090 सचिवालय		
(1)	03 अधिष्ठान व्यय		
	मूल	900.04	
		906.09	753.68
	पूरक	6.05	(-)152.41
	101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
(2)	03 राज्यपाल		
	मूल	42.00	42.00
			28.50
			(-)13.50

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

106 मनोरंजन खर्च

03 मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय

मूल
 11.30 | | |

 14.40 | 14.40 | 0.00 |

पुनर्वि०
 3.10 | | |

प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2023 को 3.10 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2013 मंत्रिपरिषद

दत्तमत-

मूल	48,79,70			
		59,29,70	38,14,72	(-)21,14,98
पूरक	10,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,20,00			
		50,20,00	47,74,31	(-)2,45,69
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 2,114.98 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 2,114.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 1,050.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	6,429.99	5,231.05	1,198.94
2018-19	7,671.59	6,446.14	1,225.45
2019-20	4,651.90	3,670.68	981.22
2020-21	6,220.20	5,027.30	1,192.90
2021-22	18,327.56	7,508.67	10,818.89

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2013 मंत्रिपरिषद				
	00				
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन				
(1)	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते				
	मूल	550.00	550.00	370.76	(-)179.24
	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते				
(2)	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च				
	मूल	330.00	330.00	179.21	(-)150.79
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान				
(3)	03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान				
	मूल	3,000.00			
	पूरक	1,000.00	4,000.00	2,885.04	(-)1,114.96
(4)	05 मा० मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान				
	मूल	500.00	500.00	65.75	(-)434.25
	108 दौरा खर्च				
(5)	03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय				
	मूल	120.00	120.00	77.55	(-)42.45
	800 अन्य व्यय				
(6)	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय				
	मूल	357.20			
	पूरक	50.00	407.20	236.39	(-)170.81

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2013 मंत्रिपरिषद

00

800 अन्य व्यय

04 मुख्य मंत्री कार्यालय मे पीएमयू का गठन

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 245.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	2,500.00	2,371.70	128.30	
2018-19	6,500.00	5,455.97	1,044.03	
2019-20	6,000.00	4,207.90	1,792.10	
2020-21	6,000.00	5,448.69	551.31	
2021-22	13,920.55	11,118.99	2,801.56	

(viii) दृष्टान्त जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

800 अन्य व्यय

03 मुख्यमंत्री कार्यालय मे पीएमयू का गठन

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	2,67,63,83			
		3,00,35,56	2,54,01,21	(-)46,34,35
पूरक	32,71,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 92,15 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

भारित-

मूल	64,03,01			
		67,79,01	54,78,58	(-)13,00,43
पूरक	3,76,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

विनियोग के राजस्व भारित अनुभाग में ₹ 34,45 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,03,09,50			
		1,58,65,50	96,03,62	(-)62,61,88
पूरक	55,56,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 4,634.35 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 4,634.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,271.73 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	16,372.26	14,434.60	1,937.66
2018-19	20,764.85	16,791.61	3,973.24
2019-20	22,028.61	16,164.54	5,864.07
2020-21	24,710.55	18,047.03	6,663.52
2021-22	25,087.39	20,756.53	4,330.86

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

- 105 सिविल और सेशन न्यायालय
 - 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	311.00			
पूरक	60.50	371.26	263.63	(-)107.63
पुनर्वि०	(-)0.24			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2022 को ₹ 0.24 लाख की कमी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अंतरण में हुई बचत के कारण किए गए।
 - 06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय

मूल	103.02	103.02	55.86	(-)47.16
-----	--------	--------	-------	----------

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	108 दण्ड न्यायालय			
(3)	03 नियमित अधिष्ठान			
	मूल	2,603.60		
	पूरक	655.50	3,260.35	2,355.51
	पुनर्वि०	1.25		(-)904.84
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 1.25 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद्			
(4)	03 महाधिवक्ता			
	मूल	2,064.73	2,064.73	1,694.73
				(-)370.00
	117 पारिवारिक न्यायालय			
(5)	04 पारिवारिक न्यायालय अधिष्ठान			
	मूल	1,248.65		
	पूरक	600.00	1,485.66	1,258.71
	पुनर्वि०	(-)362.99		(-)226.95
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 को ₹ 411.42 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 48.43 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, प्रशिक्षण व्यय तथा अन्युमंता सम्बन्धी व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	800 अन्य व्यय			
(6)	04 लोक सेवा अधिकरण			
	मूल	667.52	667.52	446.53
				(-)220.99
(7)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	607.60	607.60	249.92
				(-)357.68
(8)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	1,002.70	1,002.70	739.04
				(-)263.66
(9)	07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल			
	मूल	27.30	27.30	13.96
				(-)13.34

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	10 लोक अदालत मूल	511.50	511.50	123.85 (-)387.65

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

04 पारिवारिक न्यायालय

मूल 0.00

411.42 256.45 (-)154.97

पुनर्वि० 411.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 को ₹ 411.42 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

राजस्व:

भारित-

- (vi) ₹ 1,300.43 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,300.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 376.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2017-18	3,941.50	3,221.84	719.66
2018-19	5,376.42	3,567.28	1,809.14
2019-20	4,725.64	3,644.96	1,080.68
2020-21	5,098.00	3,956.66	1,141.34
2021-22	5,948.95	4,799.23	1,149.72

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	--------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

6,403.01

6,779.01

5,478.58

(-1,300.43

पूरक

376.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)|

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (x) ₹ 6,261.88 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (xi) ₹ 6,261.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 5,556.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (xii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2017-18	1,850.02	1,474.01	376.01	
2018-19	4,510.00	4,045.78	464.22	
2019-20	5,540.00	2,641.31	2,898.69	
2020-21	5,580.00	2,463.43	3,116.57	
2021-22	5,530.00	1,403.12	4,126.88	

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल

8,000.00

13,000.00

8,000.00

(-5,000.00

पूरक

5,000.00

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	05 न्यायिक कार्यों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	1,364.50	1,364.50	669.89
				(-)694.61
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	900.00		
			1,456.00	888.89
	पूरक	556.00		(-)567.11

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:
2015 निर्वाचन

दत्तमत-				
मूल	93,37,83			
		94,96,15	82,03,01	(-)12,93,14
पूरक	1,58,32			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,07 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 3,62,16 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2023 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं।

पूंजीगत:
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-				
मूल	2,90,88			
		2,90,88	2,49,76	(-)41,12
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,293.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,293.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 158.32 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(iii)	अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-			
	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
	2017-18	4,434.78	4,113.04	321.74
	2018-19	4,688.29	3,592.92	1,095.37
	2019-20	15,198.97	11,972.30	3,226.67
	2020-21	4,540.63	3,733.67	806.96
	2021-22	13,755.21	11,473.95	2,281.26

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

(1)	103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण				
	03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित योजना)				
	मूल	1,113.85			
	पुनर्वि०		990.90	944.11	(-)46.79
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2023 को ₹ 122.95 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।	(-)122.95			
(2)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित योजना)				
	मूल	1,757.20			
	पुनर्वि०		1,963.15	1,537.94	(-)425.21
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2023 को ₹ 205.95 लाख की वृद्धि मजदूरी, पारिश्रमिक, फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों की क्रय/अनुरक्षण, संचालन, गाड़ियों के अनुरक्षण एवं ईंधन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	205.95			
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश				
	मूल	750.77			
	पुनर्वि०		274.85	70.86	(-)203.99
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2023 को ₹ 475.92 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।	(-)475.92			

		अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...			
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा मूल	200.01	200.01	139.07	(-)60.94
(5)	109 पंचायत चुनाव कराने हेतु खर्च 03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय मूल	543.10			
	पूरक	158.32	698.42	493.36	(-)205.06
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2023 को ₹ 3.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।				

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 715.00

27.50 0.00 (-)27.50

पुनर्वि० (-)687.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2023 को ₹ 687.50 लाख की कमी मानदेय, छपाई, लेखन सामग्री तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2015 निर्वाचन

00

106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार

03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा

मूल 3,977.02

5,057.44 4,764.67 (-)292.77

पुनर्वि० 1,080.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2023 को ₹ 1,080.42 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 41.12 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 290.87 290.87 249.76 (-)41.11

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2029	भू - राजस्व		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2053	जिला प्रशासन		
2062	सतर्कता		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत		
2506	भूमि सुधार		

दत्तमत-

मूल	20,80,92,13			
		21,92,99,47	17,37,57,34	(-)4,55,42,13
पूरक	1,12,07,34			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 45,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 71,70 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2023 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं।

भारित-

मूल	2,62,78			
		2,62,78	2,44,49	(-)18,29
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

दत्तमत-

मूल	2,58,90,01			
		2,74,35,01	2,34,19,94	(-)40,15,07
पूरक	15,45,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 45,542.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 45,542.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 11,207.34 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	1,75,266.79	92,937.44	82,329.35	
2018-19	1,23,440.67	86,186.63	37,254.04	
2019-20	1,12,142.36	83,037.99	29,104.37	
2020-21	1,84,021.41	1,63,451.65	20,569.76	
2021-22	2,56,137.71	1,49,918.59	1,06,219.12	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू - राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय मूल	427.71	427.71	357.20	(-)70.51
(2)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण मूल	999.50	999.50	4.36	(-)995.14
(3)	06 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मूल	34.10	34.10	12.56	(-)21.54

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 भू-अभिलेख			
(4) 03 जिला अधिष्ठान			
मूल	15,285.01		
पुनर्वि०	(-20.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।	15,265.01	13,702.03	(-1,562.98)
(5) 07 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	217.05		
पुनर्वि०	26.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2023 को ₹ 26.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	243.05	101.44	(-141.61)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
00			
099 राजस्व परिषद			
(6) 02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
मूल	658.10	658.10	552.44
(-105.66)			
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
(7) 03 कलक्टरी स्थापना			
मूल	18,778.00		
पुनर्वि०	20.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2023 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	18,798.00	15,716.57	(-3,081.43)
(8) 04 जिलाधिकारियों के निरवर्तन पर अनटाइड फंड			
मूल	3,900.00	3,900.00	2,765.42
(-1,134.58)			
101 आयुक्त			
(9) 03 मुख्य कार्यालय			
मूल	571.00	571.00	502.52
(-68.48)			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2062 सतर्कता			
	00			
	105 अन्य सतर्कता एजेंसियां			
(10)	02 सतर्कता अधिष्ठान			
	मूल	1,337.20		
	पूरक	80.00		
			1,417.20	1,273.01
				(-)144.19
(11)	04 सेवा का अधिकार आयोग			
	मूल	326.52		
	पूरक	13.00		
			339.52	284.89
				(-)54.63
	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
(12)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल			
	मूल	1,241.00		
	पूरक	40.00		
			1,281.00	966.75
				(-)314.25
(13)	106 सिविल रक्षा			
	03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)			
	मूल	94.30		
	पूरक	2.30		
			96.60	81.87
				(-)14.73
(14)	800 अन्य व्यय			
	13 सूचना आयोग की स्थापना			
	मूल	426.01		
	पूरक	74.00		
			500.01	442.04
				(-)57.97
	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
	05 राज्य आपदा मोचन निधि			
(15)	101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	92,245.33	92,245.33	78,720.00
				(-)13,525.33

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	02 आपदा राहत निधि व्यय			
	मूल	1,00,965.33		
			87,440.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)13,525.33		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2022 को ₹ 13,525.33 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	08 राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष			
	797 रिजर्व फंड को स्थानांतरण			
(17)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	26,966.67	26,966.67	9,840.00
				(-)17,126.67
(18)	03 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय			
	मूल	29,146.67		
			42,672.00	20,812.00
	पुनर्वि०	13,525.33		(-)21,860.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2022 को ₹ 13,525.33 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	80 सामान्य			
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(19)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	300.00		
	पूरक	300.00	718.63	418.63
				(-)300.00
	पुनर्वि०	118.63		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2022 को ₹ 118.63 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(20)	02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			
	मूल	1,019.52		
			1,029.52	389.67
				(-)639.85
	पूरक	10.00		
(21)	04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास			
	मूल	2,500.00	2,500.00	870.51
				(-)1,629.49

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(22)	05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन मूल	489.01	489.01	284.21 (-)204.80
(23)	07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मूल	543.03	543.03	251.34 (-)291.69
(24)	13 उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र मूल	0.00	168.04	2.87 (-)165.17
	पूरक	168.04		
(25)	97 बाह्य सहायतित योजनाएं (एस.डी.एम.ए.) मूल	1,500.00	1,500.00	1,300.00 (-)200.00
(26)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,750.03	1,750.03	470.67 (-)1,279.36
	2506 भूमि सुधार			
	00			
	102 चकबंदी			
(27)	03 खेतों की चकबंदी मूल	1,563.86	1,537.86	1,298.26 (-)239.60
	पुनर्वि०	(-)26.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2023 को ₹ 26.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2029 भू - राजस्व

	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	07 राजस्व पुलिस के सी०सी०टी०एन०एस० से जोड़ा जाना मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 भू-अभिलेख			
(2) 06 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के रिक्त पदों पर चयन/प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु व्यय			
मूल	300.00	300.00	0.00 (-)300.00
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
(3) 05 जिला चमोली के गैरसैण (भराड़ीसैण) में विधानसभा सत्र के दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में			
मूल	150.00	150.00	0.00 (-)150.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00			
105 विशेष जांच आयोग			
(4) 03 राज्य आयोग और समितियां			
मूल	7.16	7.16	0.00 (-)7.16
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
05 राज्य आपदा मोचन निधि			
101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
(5) 97 बाह्य सहायतित योजना			
मूल	0.00	100.00	0.00 (-)100.00
पूरक	100.00		
80 सामान्य			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(6) 09 पं. दीन दयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम			
मूल	500.00	381.37	0.00 (-)381.37
पुनर्वि०	(-)118.63		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2022 को ₹ 118.63 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(7) 10 राज्य राहत निधि			
मूल	300.00	300.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)300.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

05 राज्य आपदा मोचन निधि

(1) 901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि				
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	(-)1,00,965.33	(-)1,00,965.33	(-)87,440.00	(+)13,525.33
₹ 87,440.00 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष- 2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।				

08 राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष

(2) 901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि				
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	(-)29,146.67	(-)29,146.67	(-)20,812.00	(+)8,334.67
₹ 20,812.00 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष- 2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।				

राजस्व:

भारत-

(vii) ₹ 18.29 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(viii) ₹ 4,015.07 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) ₹ 4,015.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 1,545.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(x) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	72,890.06	58,275.23	14,614.83
2018-19	44,275.03	17,023.97	27,251.06
2019-20	41,025.01	19,790.25	21,234.76
2020-21	35,396.73	17,776.12	17,620.61
2021-22	40,014.01	37,009.86	3,004.15

(xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	16 ए0टी0आई0 मे निर्माण कार्य				
	मूल	200.00	200.00	114.74	(-)85.26
(2)	97 बाह्य सहायतित योजनाएँ				
	मूल	21,000.00			
			22,000.00	18,700.00	(-)3,300.00
	पूरक	1,000.00			

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 प्राकृतिक आपदा

(3)	02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत तम्बखानी नाला शूट-ट्रीटमेंट कार्य				
	मूल	300.00	300.00	66.19	(-)233.81

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य भवन			
051 निर्माण			
(1)	07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण		
	मूल	100.00	100.00
			0.00
			(-)100.00

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
101 प्राकृतिक आपदा			
(2)	04 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	---	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2030	स्टाम्प पंजीकरण			
2040	बिक्री व्यापार आदि पर कर			
2043	राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार			
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन			
2049	ब्याज अदायगियां			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
2075	सिविल सामान्य सेवाएं			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण			
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को छतिपूर्ति तथा समनुदेशन			

दत्तमत-

मूल	1,08,74,34,63			
पूरक	3,36,42,13	1,12,10,76,76	1,03,78,73,67	(-)8,32,03,09
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 27,31,44 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,77,92 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	62,71,34,57			
पूरक	2,00,00,00	64,71,34,57	52,17,68,14	(-)12,53,66,43
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

पूंजीगत:

4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615	विविध कर्ज

दत्तमत-

मूल	15,36,13,01			
		15,36,13,02	11,68,41,43	(-)3,67,71,59
पूरक	1			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 31,00,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,64,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	55,68,24,03			
		75,78,24,03	84,74,77,00	(+)8,96,52,97
पूरक	20,10,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 83,203.09 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 83,203.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 33,642.13 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	7,62,963.29	7,40,348.58	22,614.71
2018-19	8,43,999.02	7,74,229.83	69,769.19
2019-20	9,55,441.34	8,14,942.08	1,40,499.26
2020-21	9,79,184.66	9,09,188.07	69,996.59
2021-22	10,80,082.81	9,35,487.12	1,44,595.69

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

	01 स्टाम्प न्यायिक				
	102 स्टाम्पों की ब्रिकी पर व्यय				
(1)	03 न्यायिक स्टाम्प				
	मूल	80.00	80.00	52.03	(-)27.97

2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	03 अधिष्ठान				
	मूल	2,758.51			
	पुनर्वि०	(-)471.00	2,287.51	1,909.40	(-)378.11

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को ₹ 100.00 लाख, दिनांक 28 दिसम्बर 2022 को ₹ 85.00 लाख, दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 75.00 लाख, दिनांक 09 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख तथा दिनांक 14 मार्च 2023 को ₹ 11.00 लाख की कमी उपयोगिता बिलों के भुगतान, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना				
	मूल	90.00			
	पुनर्वि०	(-)10.00	80.00	80.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 10.00 लाख की कमी इश्योरेंस पॉलिसी/प्रीमियम में हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
	00			
	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क			
(4)	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय			
	मूल	253.62	253.62	202.41
				(-)51.21
	2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
	00			
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
(5)	03 राज्य अल्प बचत संगठन			
	मूल	377.30	377.30	331.45
				(-)45.85
	800 अन्य व्यय			
(6)	03 भारतीय भांगिता अधिनियम सोसाइटीज चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	140.98	140.98	110.48
				(-)30.50
	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
	00			
	090 सचिवालय			
(7)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान			
	मूल	196.32		
			202.32	153.71
				(-)48.61
	पूरक	6.00		
(8)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान			
	मूल	42.04		
			29.04	8.17
				(-)20.87
	पुनर्वि०	(-)13.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 13.00 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	103.90	103.90	60.97
				(-)42.93

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	19 गोपन विभाग (ई-मंत्रिमंडल) मूल	15.00	15.00	6.57 (-)8.43
(11)	091 संलग्न कार्यालय 03 राज्य सम्पत्ति विभाग मूल	8,983.12	8,983.12	7,288.98 (-)1,694.14
(12)	04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल	183.50	183.50	129.10 (-)54.40
(13)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था मूल	45.78	45.78	39.09 (-)6.69
(14)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल	49.33	49.33	42.35 (-)6.98
(15)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	34.03	34.03	26.52 (-)7.51
(16)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल	110.43	110.43	85.34 (-)25.09
(17)	15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	65.50	65.50	53.77 (-)11.73
(18)	16 डी0बी0टी0 सेल मूल	27.00	27.00	5.63 (-)21.37
(19)	092 अन्य कार्यालय 02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	100.00	100.00	42.78 (-)57.22
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन				
00				
(20)	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 02 विभागों में ई-प्रोक्योरमेंट योजना लागू किया जाना मूल	184.60	184.60	142.69 (-)41.91

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान			
	मूल	698.60		
			722.60	556.38
	पुनर्वि०	24.00		(-166.22)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को ₹ 24.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(22)	05 विभागीय लेखा अधिष्ठान			
	मूल	223.70	223.70	183.34
				(-)40.36
(23)	07 वित्तीय डाटा सेंटर			
	मूल	2,180.00	2,180.00	183.85
				(-)1,996.15
	097 खजाना स्थापना			
(24)	03 कोषागार अधिष्ठान			
	मूल	7,240.70		
			7,214.70	6,052.15
	पुनर्वि०	(-)26.00		(-)1,162.55
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को ₹ 26.00 लाख की कमी फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(25)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय			
	मूल	141.88		
			143.88	123.20
	पुनर्वि०	2.00		(-)20.68
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
(26)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन			
	मूल	330.20	330.20	280.61
				(-)49.59
(27)	06 आडिट निदेशालय			
	मूल	1,264.00	1,264.00	1,094.32
				(-)169.68

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
(28)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड			
	मूल	31,000.00		
		25,850.00	24,757.91	(-1,092.09
	पुनर्वि०	(-5,150.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 5,150.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			
	109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को वेतन			
(29)	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	75,000.00		
		50,975.00	49,993.49	(-981.51
	पुनर्वि०	(-24,025.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 22,500.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 1,525.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			
(30)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणत्तर कर्मचारियों को पेंशन			
	मूल	19,515.00		
		16,915.00	16,291.23	(-623.77
	पुनर्वि०	(-2,600.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			
	200 अन्य पेंशन			
(31)	06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान			
	मूल	300.00	300.00	144.21 (-)155.79

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
800 अन्य व्यय				
(32) 04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)				
मूल	1,450.00			
		1,061.16	270.08	(-)791.08
पुनर्वि०	(-)388.84			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 175.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 213.84 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।				
(33) 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता				
मूल	50.00			
		5.00	25.34	(+)20.34
पुनर्वि०	(-)45.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 45.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।				
2075 सिविल सामान्य सेवाएं				
00				
911 अधिक भुगतान की कटौती-वसूली				
(34) 03 तीन वर्षों से अधिक पी0 एल0 ए0 में जमा अनउपयोगी धनराशि की वापसी				
मूल	(-)0.01	(-)0.01	(-)122.55	(-)122.54
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना				
(35) 02 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन				
मूल	2,400.00	2,400.00	1,972.83	(-)427.17
3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण				
03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान				
102 पर्यावरण नियोजन और समन्वय				
(36) 02 पर्यावरण निदेशालय				
मूल	1,245.51	1,245.51	40.56	(-)1,204.95

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

101	स्टांपों की लागत			
(1)	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-20.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

101	स्टांपों की लागत			
(2)	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-20.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			

03 पंजीकरण

001	निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-10.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2023 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2018-19 तथा 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

00

090	सचिवालय			
(4)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00
	वर्ष 2013-14 तथा 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
091 संलग्न कार्यालय				
(5) 18 राजकीय विभागों में नव प्रवर्तन एवं सुधार				
मूल	5,000.00			
		1,000.00	0.00	(-),1,000.00
पुनर्वि०	(-),4,000.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 4,000.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन				
00				
003 प्रशिक्षण				
(6) 97 यू.एस.डी.ए.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित परियोजना				
मूल	4,000.00			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-),4,000.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 4,000.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।				
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01 सिविल				
105 परिवार पेंशन				
(7) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर				
मूल	100.00	100.00	0.00	(-),100.00
वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
800 अन्य व्यय				
(8) 09 राज्य न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता				
मूल	5.00			
		4.00	0.00	(-),4.00
पुनर्वि०	(-),1.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 1.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9) 10 राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (एक बार)			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि०	(-)20,000.00	0.00	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 17,525.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 2,475.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			

3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं

00

092 अन्य कार्यालय

(10) 05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना			
मूल	40.00	40.00	0.00
			(-)40.00
(11) 11 युवा आयोग उत्तराखण्ड			
मूल	5.06	5.06	0.00
			(-)5.06
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

(12) 05 राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली			
मूल	20.00	20.00	0.00
			(-)20.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(1)	03 मुख्यालय मूल	1,789.05		
	पुनर्वि०	77.50	1,866.55	1,831.55 (-)35.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2023 को ₹ 19.34 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 58.16 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा बाह्य उपकरणों की खरीद/अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

00

800 अन्य व्यय

(2)	02 जी०एस०टी०एन० में राज्य का अंश मूल	500.00		
	पुनर्वि०	200.00	700.00	696.91 (-)3.09
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

01 सिविल

101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते

(3)	03 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते मूल	1,58,400.00		
	पुनर्वि०	31,800.00	1,90,200.00	1,93,570.38 (+)3,370.38
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 10,000.00 लाख, दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 21,000.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	07 परिवहन निगम मे रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल	50.00		
	पुनर्वि०	40.00	90.00	77.82 (-)12.18
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
	03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु आफ पेंशन)			
	मूल	32,000.00		
	पूरक	10,000.00	56,100.00	55,856.57 (-)243.43
	पुनर्वि०	14,100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 15,000.00 लाख, दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 400.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 700.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	2,000.00		
	पुनर्वि०	375.00	2,375.00	2,235.27 (-)139.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 175.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	104 उपादान			
	03 उपादान			
	मूल	45,000.00		
	पूरक	13,000.00	71,800.00	71,524.04 (-)275.96
	पुनर्वि०	13,800.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 17,500.00 लाख, दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 700.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	500.00		
	पुनर्वि०	2,000.00	2,339.61	(-)160.39
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	1,17,550.00		
	पुनर्वि०	9,000.00	1,24,919.20	(-)1,630.80
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 9,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	5,615.00		
	पुनर्वि०	3,500.00	8,418.98	(-)696.02
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 3,500.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(11)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान मूल	100.01		
	पुनर्वि०	30.00	427.75	(+)297.74
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(12)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	665.00		
	पुनर्वि०	150.00	812.27	(-)2.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 150.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान			
(13) 03 राज्य सरकार का अंशदान			
मूल	70,000.00		
		82,213.84	82,213.84
पुनर्वि०	12,213.84		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 9,000.00 लाख, दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 3,000.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 9,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) एवं (11) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 1,25,366.43 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,25,366.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 20,000.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	4,63,432.80	3,98,818.25	64,614.55
2018-19	5,17,462.33	4,47,532.44	69,929.89
2019-20	5,67,569.45	4,65,478.86	1,02,090.59
2020-21	6,04,573.95	4,92,435.83	1,12,138.12
2021-22	6,55,612.62	5,14,856.06	1,40,756.56

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

	00			
	797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(1)	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	20,000.00		
			40,000.00	10,000.00
	पूरक	20,000.00		(-)30,000.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहतऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	5,000.00	5,000.00	1,000.00 (-)4,000.00
2049 ब्याज अदायगियां				
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(3)	29 राज्य विकास ऋण, जो 2018-2019 में प्राप्त हुआ			
	मूल	52,894.50	52,894.50	45,002.50 (-)7,892.00
(4)	32 वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	42,848.00	42,848.00	24,613.00 (-)18,235.00
	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज			
(5)	02 अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज			
	मूल	4,000.00	4,000.00	222.81 (-)3,777.19
	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिपूर्तियों पर ब्याज			
(6)	03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज			
	मूल	70,000.00	70,000.00	57,876.71 (-)12,123.29
	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(7)	03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	1,800.00	1,800.00	1,413.79 (-)386.21
(8)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज			
	मूल	25,000.00	25,000.00	13,202.25 (-)11,797.75
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(9)	04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज			
	मूल	450.00	450.00	309.97 (-)140.03

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---	-------------	---------------	--------------------------------------

	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
(10)	03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज			
	मूल	35.00		
			58.46	26.77
	पुनर्वि०	23.46		(-)31.69
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 23.46 लाख की वृद्धि ब्याज/लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत प्राप्त होना बजट प्रवधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)			

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2049 ब्याज अदायगियां

	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1)	33 वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00
				(-)30,000.00
	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(2)	12 आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	700.00	700.00	0.00
				(-)700.00
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज			
(3)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	350.00	350.00	0.00
				(-)350.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	05 रिज़र्व फण्ड पर ब्याज			
	105 सामान्य एवं अन्य रिज़र्व फण्ड पर ब्याज			
(4)	02 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पर ब्याज			
	मूल	5,500.00	5,500.00	0.00
				(-)5,500.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	

	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
(5)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज			
	मूल	22.00	22.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)22.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2049 ब्याज अदायगियां

	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1)	26 राज्य विकास ऋण, जो वर्ष 2015-2016 में प्राप्त हुआ			
	मूल	34,199.00	34,199.00	34,774.75
				(+)575.75
(2)	28 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुआ			
	मूल	51,489.40	51,489.40	60,791.57
				(+)9,302.17
	305 ऋण प्रबन्ध			
(3)	03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय			
	मूल	600.00	600.00	985.78
				(+)385.78
	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत/योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
(4)	03 उ०प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज			
	मूल	6,500.00	6,500.00	7,296.12
				(+)796.12

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

	00			
	092 अन्य कार्यालय			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	--------------------------------

(5) 03 माननीय न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबंधित धनराशि मूल	350.00		
		326.54	405.53 (+)78.99
पुनर्वि०	(-)23.46		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 23.46 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। यद्यपि, प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात अंतिम आधिक्य प्राप्त होना बजट प्रवधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (xiii) ₹ 36,771.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xiv) ₹ 127.76 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (xv) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2017-18	45,199.70	18,958.43	26,241.27
2018-19	32,812.73	16,778.70	16,034.03
2019-20	29,655.47	9,030.27	20,625.20
2020-21	58,467.02	44,532.07	13,934.95
2021-22	1,14,093.98	51,675.58	62,418.40

- (xvi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण मूल	300.00	300.00	236.28	(-)63.72
---	--------	--------	--------	----------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,20,000.00		
	पूरक	0.01	1,36,348.61	1,07,284.75
	पुनर्वि०	16,348.60		(-)29,063.86
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 12,775.50 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2023 को ₹ 3,573.10 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(3)	08 वित्त विभाग के अधिनस्त कार्यलयों हेतु भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण			
	मूल	1,200.00	1,200.00	1,075.94
				(-)124.06
(4)	17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य			
	मूल	20,000.00		
			3,651.40	2,729.64
	पुनर्वि०	(-)16,348.60		(-)921.76
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 12,775.50 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2023 को ₹ 3,573.10 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए			
(5)	18 शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण			
	मूल	5,000.00	5,000.00	1,779.34
				(-)3,220.66
	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>02 शहरी आवास</i>			
	800 अन्य व्यय			
(6)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,000.00	1,000.00	192.98
				(-)807.02
(7)	14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,500.00
				(-)500.00
(8)	15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार			
	मूल	400.00	400.00	79.17
				(-)320.83

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	16 रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण मूल	500.00	500.00	15.25 (-)484.75
7615 विविध कर्ज				
	00			
	200 अन्य कर्ज			
(10)	03 विधायकों को आवास हेतु ऋण मूल	100.00	100.00	35.50 (-)64.50

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xvii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

	01 कार्यालय भवन			
	051 निर्माण			
(1)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(2)	04 राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय भवन का निर्माण मूल	98.99	98.99	0.00 (-)98.99

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	01 सरकारी रिहायसी भवन			
	700 अन्य आवासीय योजना			
(3)	02 मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य व्यय			
(4)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(5)	11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन एस्टेट का अधिग्रहण मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	19 जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण मूल 500.00 500.00 0.00 (-)500.00 वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	80 सामान्य		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(7)	02 सचिवालय परिसर में अनावासीय भवनों का ध्वस्तीकरण/जीर्णोद्धार/नवनिर्माण मूल 200.00 200.00 0.00 (-)200.00		
	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
	00		
	201 भवन निर्माण अग्रिम		
(8)	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00 वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	7615 विविध कर्ज		
	00		
	200 अन्य कर्ज		
(9)	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00 वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

**पूंजीगत:
भारित-**

- (xviii) पूंजीगत भारित विनियोग के अंतर्गत ₹ 89,652.97 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xix) ₹ 89,652.97 लाख के अंतिम व्याधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,01,000.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---	-------------	---------------	--------------------------------------

(xx) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

(1)	108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज			
	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
	मूल	2,000.00		
			3,031.58	4,619.84 (+)1,588.26

पुनर्वि०

1,031.58

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को ₹ 1,031.58 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
	मूल	1,20,000.00		
			3,20,000.00	4,39,547.48 1,19,547.48
	पूरक	2,00,000.00		

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

09 राज्यों/विधानमंडल योजनाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋण

101 ब्लॉक लोन

(3)	03 एक मुश्त उधार			
	मूल	0.01		
			1,000.01	1,039.19 (+)39.18
	पूरक	1,000.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xxi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

(1)	101 बाजार ऋण			
	04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	60.00	60.00	0.54 (-)59.46

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
105 नाबार्ड से कर्ज				
(2) 03 नाबार्ड को ऋण वापसी				
मूल	1,06,500.00			
		1,05,468.42	77,972.94	(-)27,495.48
पुनर्वि०	(-)1,031.58			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 1,031.58 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

	01 आयोजनेतर कर्ज			
	800 अन्य कर्ज			
(3) 03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी				
मूल	110.00	110.00	43.33	(-)66.67
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
	101 एक मुश्त कर्ज			
(4) 03 केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज				
मूल	7,000.00	7,000.00	5,136.03	(-)1,863.97

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xxii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

	00			
	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00
वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	800 अन्य कर्ज			
(2) 03 अन्य ऋण				
मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00
वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए

800 अन्य कर्ज

(3) 03 सहकारिता

मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00

वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 08 आबकारी		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

दत्तमत-

मूल	38,42,00			
		38,42,00	32,48,21	(-),93,79
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	2,00,00			
		2,00,00	...	(-),2,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 593.79 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2017-18	2,540.58	2,281.99	258.59
2018-19	2,935.50	2,623.60	311.90
2019-20	2,963.39	2,539.78	423.61
2020-21	3,305.07	2,757.91	547.16
2021-22	3,690.15	2,983.26	706.89

अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल	1,117.00	1,117.00	634.47	(-)482.53
-----	----------	----------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(iv) ₹ 200.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 आबकारी विभाग के भवनों का निर्माण

मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

मुख्य लेखा शीर्ष		अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग		
		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

दत्तमत-

मूल	20,49,50			
		20,49,50	20,07,57	(-)41,93
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	48,13,51			
		48,13,51	39,89,21	(-)8,24,30
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

विनियोग के राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 27,12,24 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

विनियोग के राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 6,65,31 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	7,00,00			
		7,00,00	1,42,08	(-)5,57,92
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
---------------------------	-------------------	--------------------------	---

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 41.93 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

राजस्व:

भारित-

- (ii) ₹ 824.30 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	2,447.55	1,436.65	1,010.90
2018-19	2,912.01	1,734.80	1,177.21
2019-20	2,764.02	1,915.18	848.84
2020-21	3,271.43	1,737.00	1,534.43
2021-22	2,698.01	2,279.28	418.73

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	4,813.51	4,813.51	3,989.21	(-)824.30
-----	----------	----------	----------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (v) ₹ 557.92 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(vi)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
	051 निर्माण			
(1)	02 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हेतु अनावासीय भवन का निर्माण चयन आयोग			
	मूल	500.00	500.00	40.00 (-)460.00
(2)	03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	102.08 (-)97.92

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
		कुल अनुदान		

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत-

मूल	23,77,05,04			
		24,01,45,64	21,86,00,99	(-)2,15,44,65
पूरक	24,40,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 44,46,65 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	46,50,00			
		46,50,00	46,05,73	(-)44,27
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 21,544.65 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 21,544.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,440.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2017-18	1,73,448.94	1,66,059.35	7,389.59	
2018-19	1,93,877.78	1,83,347.98	10,529.80	
2019-20	1,97,056.34	1,82,088.34	14,968.00	
2020-21	2,14,274.66	1,86,514.58	27,760.08	
2021-22	2,25,431.64	2,02,804.67	22,626.97	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	200.01			
			595.69	6.13	(-)589.56
	पूरक	395.68			
(2)	03 मुख्यालय				
	मूल	5,060.50			
	पूरक	20.21	4,775.01	4,210.77	(-)564.24
	पुनर्वि०	(-)305.70			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 333.00 लाख की कमी सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 27.30 लाख की वृद्धि यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा ईंधन की क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान				
	मूल	187.40			
			205.40	174.25	(-)31.15
	पूरक	18.00			

		अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...			
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ मूल	63.00	63.00	51.74	(-)11.26
(5)	09 राज्य मानवाधिकार आयोग मूल	634.49	634.49	349.41	(-)285.08
(6)	13 अभियोजन अधिष्ठान मूल	1,205.52	1,205.52	1,054.56	(-)150.96
(7)	14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो मूल	630.65	630.65	470.75	(-)159.90
(8)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना मूल	200.00	200.00	130.92	(-)69.08
(9)	101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 सुरक्षा व्यवस्था मूल	3,077.90			
	पूरक	10.00	3,084.90	2,746.63	(-)338.27
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 3.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए।				
(10)	05 अपराधिक अन्वेषण मूल	1,735.32			
	पूरक	1.55	1,736.37	1,442.56	(-)293.81
	पुनर्वि०	(-)0.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 0.50 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए।				
(11)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण मूल	186.04			
			190.44	167.07	(-)23.37
	पूरक	4.40			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	104 विशेष पुलिस 03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य मूल 29,135.60 पूरक 92.00 पुनर्वि० (-)86.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 86.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।	29,141.60	25,708.82	(-)3,432.78
(13)	108 राज्य मुख्यालय पुलिस 02 निर्वाचन मूल 1,000.00 पुनर्वि० (-)351.91 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 351.91 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।	648.09	333.64	(-)314.45
(14)	05 यूनिफॉर्म सिविल कोड मूल 500.00	500.00	61.62	(-)438.38
(15)	109 जिला पुलिस 07 घुड़सवार पुलिस इकाई मूल 632.01 पुनर्वि० (-)58.85 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 58.85 लाख की कमी यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा सामान्य कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।	573.16	522.47	(-)50.69
(16)	14 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण मूल 143.05 पूरक 8.64 पुनर्वि० (-)13.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 13.00 लाख की कमी पारिश्रमिक, लेखन सामग्री एवं छपाई, फर्नीचर एवं उपकरण, विज्ञापन एवं प्रचार तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।	138.69	114.13	(-)24.56

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17) 111 रेलवे पुलिस 03 मुख्य मूल	2,146.01		
	2,158.06	1,916.94	(-)241.12
पुनर्वि०	12.05		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2023 को ₹ 12.05 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, लेखन सामग्री एवं छपाई, फर्नीचर एवं उपकरण, विज्ञापन एवं प्रचार तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(18) 113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण 04 चिकित्सालय व्यय मूल	432.75		
	431.75	328.66	(-)103.09
पुनर्वि०	(-)1.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 1.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए।			
(19) 115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	775.20		
	1,525.15	795.15	(-)730.00
पूरक	749.95		
(20) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	86.15		
	110.59	32.05	(-)78.54
पूरक	24.44		
(21) 116 न्यायालयिक विज्ञान 03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला मूल	544.10		
	551.10	454.11	(-)96.99
पुनर्वि०	7.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 7.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2056 जेलें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(22) 03 कारागार अधिष्ठान

मूल 7,893.71

7,887.36 7,083.54 (-)803.82

पुनर्वि० (-)6.35

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को ₹ 4.50 लाख तथा दिनांक 17 जनवरी 2023 को ₹ 1.85 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विज्ञापन एवं प्रचार में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 05 राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद

मूल 17.20

17.20 0.00 (-)17.20

113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण

(2) 10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार

मूल 20.00

20.00 0.00 (-)20.00

(3) 11 अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद

मूल 21.71

21.71 0.00 (-)21.71

115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(4) 02 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

मूल 5.00

5.00 0.00 (-)5.00

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

117	आन्तरिक सुरक्षा			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	100.01	100.01	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)100.01
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2055 पुलिस

00

113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण

09 पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान

मूल 250.00

300.00 299.92 (-)0.08

पुनर्वि० 50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 44.27 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2017-18	2,650.02	1,806.73	843.29
2018-19	2,322.01	1,858.80	463.21
2019-20	5,372.65	3,606.51	1,766.14
2020-21	5,050.00	3,173.90	1,876.10
2021-22	5,250.00	4,850.58	399.42

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

210 अनुसन्धान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

02 पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना

मूल	50.00	50.00	42.92	(-)7.08
-----	-------	-------	-------	---------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति

दत्तमत-

मूल	1,00,14,98,78			
		1,00,97,17,02	91,03,25,97	(-)9,93,91,05
पूरक	82,18,24			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,22,65 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	4,78,93,21			
		5,22,49,67	4,14,90,71	(-)1,07,58,96
पूरक	43,56,46			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 99,391.05 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 99,391.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 8,218.24 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
				बचत (-)
				(₹ लाख में)

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	6,67,017.93	6,23,077.13	43,940.80	
2018-19	7,60,974.26	7,06,732.74	54,241.52	
2019-20	8,37,976.63	7,40,291.24	97,685.39	
2020-21	9,03,510.19	7,79,175.03	1,24,335.16	
2021-22	9,11,104.87	8,15,496.10	95,608.77	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
(1)	08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल				
	मूल	455.00	455.00	243.60	(-)211.40
(2)	12 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
	मूल	4,400.00	4,400.00	2,143.75	(-)2,256.25
	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता				
(3)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण				
	मूल	980.00			
	पुनर्वि०	(-)153.00	827.00	777.24	(-)49.76
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2023 को ₹ 153.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।				
(4)	24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति				
	मूल	13,104.00			
	पुनर्वि०	(-)2,404.55	10,699.45	10,678.80	(-)20.65
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2023 को ₹ 2,399.00 एवं 24 मार्च 2023 को ₹ 5.55 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 निरीक्षण			
(5)	05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना			
	मूल	4,257.01	4,257.01	3,454.16
				(-)802.85
	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,105.93	10,105.93	8,444.35
				(-)1,661.58
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
	मूल	978.70		
			989.60	846.12
				(-)143.48
	पुनर्वि०	10.90		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 10.90 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	10 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल को रखरखाव/संचालन निधि अनुदान			
	मूल	500.00	500.00	428.31
				(-)71.69
(9)	16 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020			
	मूल	500.00		
			43.42	11.41
				(-)32.01
	पुनर्वि०	(-)456.58		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ₹ 255.00 लाख तथा मार्च 2023 में ₹ 201.58 की कमी पारिश्रमिक, प्रशिक्षण व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार तथा व्यावसायिक एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।			
	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(10)	03 सीमेट की स्थापना			
	मूल	213.43	213.43	164.16
				(-)49.27

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 निरीक्षण			
(11)	03 क्षेत्रीय निरीक्षण			
	मूल	3,193.05		
			3,221.90	(-)373.94
	पुनर्वि०	28.85		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 28.85 लाख की वृद्धि कार्यालय वाहन की क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	105 शिक्षकों का प्रशिक्षण			
(12)	02 प्रशिक्षण हेतु डायटों का सशक्तिकरण			
	मूल	34.80	34.80	(-)18.49
	106 पाठ्य पुस्तकें			
(13)	02 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक			
	मूल	3,686.37		
			2,388.37	(-)107.37
	पुनर्वि०	(-)1,298.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2023 को ₹ 1,298.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	107 छात्रवृत्तियां			
(14)	18 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति			
	मूल	100.00		
			98.80	(-)28.60
	पुनर्वि०	(-)1.20		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को ₹ 1.20 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण किए गए।			
	108 परीक्षाएं			
(15)	03 माध्यमिक शिक्षा परिषद			
	मूल	855.50	855.50	(-)90.69

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(16)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल 3,110.71	3,125.71	2,723.76	(-)401.95
	पुनर्वि० 15.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(17)	15 राजीव गांधी अभिनव विद्यालय की स्थापना मूल 129.10	129.10	61.25	(-)67.85
(18)	16 विजीटिंग शिक्षकों का मानदेय मूल 15,000.00	11,351.93	10,574.67	(-)777.26
	पुनर्वि० (-)3,648.07 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 सितम्बर 2022 को ₹ 153.07 लाख, 20 फरवरी 2023 को ₹ 55.00 लाख, 27 फरवरी 2023 को ₹ 3,265.00 लाख तथा 16 मार्च 2023 को ₹ 175.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किए गए।			
(19)	19 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल 90.00	90.00	49.00	(-)41.00
(20)	20 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल 25.00	25.00	19.62	(-)5.38
(21)	27 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना मूल 1,228.10	1,228.10	801.12	(-)426.98
(22)	110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 118.80	118.80	100.25	(-)18.55
(23)	113 समग्र शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,01,976.09	1,01,976.09	83,164.40	(-)18,811.69

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(24)	03 उच्च शिक्षा निदेशालय			
	मूल	640.91		
	पूरक	4.50	656.48	544.13
	पुनर्वि०	11.07		(-)112.35
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 11.07 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(25)	03 कुमाऊ विश्वविद्यालय			
	मूल	6,500.00		
			5,313.33	5,313.33
	पुनर्वि०	(-)1,186.67		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा 06 मार्च 2023 को ₹ 1,186.67 लाख की कमी वेतन, भत्ते और अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(26)	05 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	1,504.00		
			1,304.00	1,304.00
	पुनर्वि०	(-)200.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा 06 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी वेतन, भत्ते और अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(27)	08 श्री देव सुमन विश्वविद्यालय			
	मूल	2,224.00		
	पूरक	526.67	2,614.37	2,444.00
	पुनर्वि०	(-)136.30		(-)170.37
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा 29 मार्च 2023 को ₹ 136.30 लाख की कमी वेतन, भत्ते और अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(28)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,316.70	1,316.70	638.77
				(-)677.93

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	17 राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना मूल	60.00	60.00	48.75 (-)11.25
(30)	19 एक भारत श्रेष्ठ भारत मूल	20.00	20.00	11.42 (-)8.58
(31)	20 राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	7.80 (-)42.20
<i>05 भाषा विकास</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(32)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल	65.40	65.40	49.07 (-)16.33
102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन				
(33)	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल	270.50	270.50	111.50 (-)159.00
103 संस्कृत शिक्षा				
(34)	03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	152.50	152.50	103.60 (-)48.90
(35)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मूल	136.51	136.51	108.64 (-)27.87
(36)	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण मूल	25.00	25.00	14.05 (-)10.95
<i>80 सामान्य</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(37)	03 एन0सी0सी0 निदेशालय अधिष्ठान मूल	134.11	134.11	97.33 (-)36.78
(38)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल मूल	2,747.11	2,747.11	2,351.70 (-)395.41

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(39)	05 एयर स्क्वाड्रन एनसीसी की स्थापना मूल	88.70	88.70	65.99 (-)22.71
	003 प्रशिक्षण			
(40)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरूष) मूल	153.75	153.75	118.46 (-)35.29
2203 तकनीकी शिक्षा				
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(41)	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मूल	432.80	432.80	360.74 (-)72.06
	105 बहुशिल्प (पॉलिटैक्नीक) विद्यालय			
(42)	03 सामान्य पॉलिटैक्नीक मूल	12,742.13	12,882.13	11,534.75 (-)1,347.38
	पूरक	140.00		
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	52.50	52.50	21.52 (-)30.98
(44)	03 खेलकूद निदेशालय मूल	1,026.00		
	पूरक	201.17	1,235.35	1,027.57 (-)207.78
	पुनर्वि०	8.18		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2022 को ₹ 1.68 लाख तथा दिनांक 06 मार्च 2023 को ₹ 6.50 लाख की वृद्धि मानदेय, संचालन, गाड़ियों के अनुरक्षण तथा ईंधन के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(45)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान मूल	78.56	78.56	62.14 (-)16.42

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(46)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल	35.00	35.00	20.73	(-)14.27
(47)	10 विभिन्न निर्वाचनों एवं कुम्भ मेला में तैनात पी.आर.डी. स्वयं सेवकों हेतु बजट व्यवस्था मूल	18.00	18.00	4.18	(-)13.82
(48)	11 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन मूल	20.00	520.00	93.31	(-)426.69
	पूरक	500.00			
(49)	22 महिला मंगल दल/युवक मंगल दल मूल	500.00	313.80	144.76	(-)169.04
	पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को ₹ 186.20 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।	(-)186.20			
(50)	104 खेलकूद 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल	300.00	209.08	209.02	(-)0.06
	पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को ₹ 70.00 लाख तथा दिनांक 06 मार्च 2023 को ₹ 20.92 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।	(-)90.92			
(51)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल	50.00	50.00	20.87	(-)29.13
(52)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन मूल	20.00	20.00	11.37	(-)8.63
(53)	22 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता मूल	10.00	10.00	4.09	(-)5.91

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(54)	29 उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मूल	500.00	500.00	413.74 (-)86.26
(55)	30 पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र मूल	63.00	63.00	16.66 (-)46.34
(56)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज मूल	194.95	194.95	93.25 (-)101.70
(57)	35 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना मूल	600.00	580.00	179.20 (-)400.80
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
2205 कला तथा संस्कृति				
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(58)	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय मूल	821.97	818.37	670.46 (-)147.91
	पुनर्वि०	(-)3.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 3.60 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(59)	101 ललित कला शिक्षा 03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय मूल	301.73	301.73	234.56 (-)67.17
(60)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन 03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान मूल	50.00	50.00	35.27 (-)14.73
(61)	04 स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान मूल	19.09	19.09	3.76 (-)15.33

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(62)	06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना मूल	20.00	20.00	9.18 (-)10.82
(63)	08 रंगमंडल स्थापना मूल	20.00	20.00	12.24 (-)7.76
(64)	09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन मूल	65.00	65.00	47.03 (-)17.97
(65)	12 शहीद स्मारक मूल	18.50	18.50	9.33 (-)9.17
(66)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल	26.41	26.41	7.99 (-)18.42
(67)	35 मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता मूल	100.00	100.00	39.35 (-)60.65
(68)	41 प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों व देवालयों तथा धार्मिक स्थलों, तीर्थों का रखरखाव व जीर्णोद्धार मूल	50.00	50.00	12.35 (-)37.65
(69)	44 हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव/संचालन मूल	85.00	85.00	15.53 (-)69.47
(70)	48 नेहरू हेरिटेज सेंटर का रखरखाव/संचालन मूल	8.01	9.61	0.94 (-)8.67
	पुनर्वि०	1.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 1.60 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(71)	49 आर्ट गैलरी का संचालन मूल	13.00	15.00	7.41 (-)7.59
	पुनर्वि०	2.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(72)	95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश मूल	200.00	200.00	15.00 (-)185.00
(73)	103 पुरातत्व विज्ञान 03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	329.09	329.09	176.69 (-)152.40
(74)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल	235.04	235.04	135.07 (-)99.97
(75)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	294.65	294.65	226.96 (-)67.69
(76)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	149.71	149.71	114.83 (-)34.88

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

(1)	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 03 मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

02 माध्यमिक शिक्षा

(2)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश मूल	8.10	8.10	0.00 (-)8.10
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	107 छात्रवृत्तियां			
(3)	15 खेल छात्रवृत्ति			
	मूल	6.50	6.50	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)6.50
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(4)	22 गरीब मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप/मोबाइल वितरण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(5)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-)1,000.00
(6)	09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
(7)	15 आई.टी. अकादमी एवं उत्कृष्टता केंद्र			
	मूल	500.00	500.00	0.00
				(-)500.00
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(8)	16 राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में एडुसेट के माध्यम से शिक्षा			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
(9)	18 मुख्यमंत्री नवाचार योजना			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				(-)25.00
(10)	21 भक्त दर्शन सिंह पुरस्कार वितरण			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00
(11)	23 अनुसंधान एवं विकास कार्य			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 08 उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में ई-लाइब्रेरी			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
(13)	105 संकाय विकास कार्यक्रम 04 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति			
	मूल	201.00		
			39.00	0.00
				(-)39.00
	पुनर्वि०	(-)162.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 162.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

2203 तकनीकी शिक्षा

00

(14)	105 बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,140.00	1,140.00	0.00
				(-)1,140.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(15)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	11.00	11.00	0.00
				(-)11.00

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

00

(16)	104 खेलकूद 36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को ₹ 100.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(17)	32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना		
	मूल	5.00	5.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	(-)5.00
(18)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता		
	मूल	10.00	10.00
		0.00	(-)10.00
(19)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण		
	मूल	6.00	6.00
		0.00	(-)6.00
(20)	43 राज्योत्सव (राज्य लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन)		
	मूल	25.00	25.00
		0.00	(-)25.00
(21)	47 श्राइन बोर्ड को अनुदान		
	मूल	1,000.00	1,000.00
		0.00	(-)1,000.00
105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
(22)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	300.00	300.00
		0.00	(-)300.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(1)	13 कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था		
	मूल	2,500.00	
		2,653.00	2,542.77
			(-)110.23
	पुनर्वि०	153.00	
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2023 को ₹ 153.00 लाख की वृद्धि सामग्री एवं सम्पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>				
101 निरीक्षण				
(2) 04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना				
मूल	4,154.76			
पुनर्वि०		4,450.56	4,230.32	(-)220.24
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 9.80 लाख तथा 16 मार्च 2023 को ₹ 286.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा यात्रा व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	295.80			
108 परीक्षाएं				
(3) 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान				
मूल	1,039.56			
पुनर्वि०		1,091.56	1,041.62	(-)49.94
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2023 को ₹ 52.00 लाख की वृद्धि वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	52.00			
110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता				
(4) 03 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान				
मूल	50,000.00			
पुनर्वि०		56,899.00	56,556.09	(-)342.91
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 6,899.00 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	6,899.00			
<i>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>				
102 विश्वविद्यालयों को सहायता				
(5) 07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय				
मूल	1,300.00			
पुनर्वि०		1,436.30	1,436.30	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2023 को ₹ 136.30 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	136.30			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता				
(6) 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान				
मूल	12,300.01			
		13,686.68	13,654.96	(-)31.72
पुनर्वि०	1,386.67			
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2023 को ₹ 1,386.67 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7) 17 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का रखरखाव एवं प्रशिक्षण				
मूल	5.00			
		25.00	25.00	0.00
पुनर्वि०	20.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
104 खेलकूद				
(8) 16 स्थायी क्रीड़ा उपकरणों का क्रय				
मूल	25.00			
		36.75	36.50	(-)0.25
पुनर्वि०	11.75			
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2023 को ₹ 11.75 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9) 21 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता				
मूल	200.00			
		370.00	361.09	(-)8.91
पुनर्वि०	170.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को ₹ 100.00 लाख तथा दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(10)	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता मूल	20.00	22.67	22.61	(-)0.06
	पुनर्वि०	2.67			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2023 को ₹ 2.67 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 10,758.96 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 10,758.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 4,356.46 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	27,714.26	16,517.37	11,196.89	
2018-19	29,793.39	14,279.43	15,513.96	
2019-20	44,723.43	25,791.14	18,932.29	
2020-21	42,421.28	35,253.08	7,168.20	
2021-22	58,778.64	30,714.75	28,063.89	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
01 सामान्य शिक्षा					
202 माध्यमिक शिक्षा					
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	13,000.01	13,000.01	9,625.40	(-)3,374.61
(2)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण				
	मूल	200.00	200.00	72.67	(-)127.33
(3)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण				
	मूल	100.00	100.00	48.10	(-)51.90

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	30 मॉडल स्कूलों में भवन का निर्माण मूल	500.00	500.00	434.05	(-)65.95
(5)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	1,315.00	1,315.00	1,000.00	(-)315.00
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,500.00	2,500.00	1,710.90	(-)789.10
(7)	13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन मूल	120.00	120.00	93.53	(-)26.47
(8)	14 कुमाऊँ विश्व विद्यालय मूल	200.00			
	पुनर्वि०	(-)91.67	108.33	108.33	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 91.67 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	15 दून विश्व विद्यालय मूल	500.00			
	पुनर्वि०	(-)200.00	300.00	62.63	(-)237.37
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(10)	27 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत महाविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की स्थापना मूल	0.00			
	पूरक	100.00	100.00	25.83	(-)74.17
(11)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	440.00	440.00	190.10	(-)249.90

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	02 तकनीकी शिक्षा				
	104 बहुशिल्प				
(12)	16 पालीटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण				
	मूल	1,600.00	1,600.00	1,144.35	(-)455.65
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
(13)	06 पंत कालेज आफ टेक्नॉलॉजी पन्तनगर				
	मूल	300.00	300.00	149.91	(-)150.09
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा				
	102 खेलकूद स्टेडियम				
(14)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम/ओपन जिम का निर्माण				
	मूल	1,500.00			
			1,169.89	1,162.50	(-)7.39
	पुनर्वि०	(-)330.11			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 57.40 लाख, दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 246.53 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 26.18 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।				
	04 कला और संस्कृति				
	106 संग्रहालय				
(15)	03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण				
	मूल	300.00	300.00	31.09	(-)268.91
(16)	04 महान विभूतियों की मूर्तियाँ/शहीद स्मारक का निर्माण				
	मूल	150.00	150.00	98.35	(-)51.65
	800 अन्य व्यय				
(17)	03 सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण				
	मूल	300.00	300.00	189.80	(-)110.20

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
(1)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
(2)	25 केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय			
	मूल	500.00	500.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)500.00
(3)	29 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
(4)	31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)300.00
(5)	32 उत्तराखंड आवासीय विद्यालय जयहरिखाल पौड़ी का भवन निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	0.00
	वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)500.00
(6)	33 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2020			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
(7)	34 सैनिक स्कूल सोसाईटी से संबद्ध विद्यालयों का संचालन			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-)200.00
(8)	35 बालिका छात्रावास का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
(9)	36 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भवन निर्माण			
	मूल	397.00	397.00	0.00
				(-)397.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(10)	17 मुक्त विश्व विद्यालय			
	मूल	500.00		
			100.00	0.00
	पुनर्वि०	(-400.00)		(-100.00)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 400.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(11)	19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
	मूल	500.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-500.00)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 500.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	205 भाषा विकास			
(12)	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-)200.00
(13)	08 राजकीय संस्कृत मॉडल आवासीय विद्यालय के भवन का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	600 सामान्य			
(14)	02 एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	0.00
				(-)500.00
	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	282.54	282.54	0.00
				(-)282.54
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(16) 10 इंजीनियरिंग कालेज, टनकपुर			
मूल	100.00	100.00	0.00
वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)100.00
(17) 12 पिथौरागढ़ सीमा प्रौद्योगिकी संस्थान			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(18) 22 त्रेपन सिंह नेगी, राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना			
मूल	15.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			0.00
(19) 28 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान			
मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			0.00
<i>04 कला और संस्कृति</i>			
106 संग्रहालय			
(20) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	244.19	244.19	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)244.19
(21) 95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	91.53	91.53	0.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			(-)91.53

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xii)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>			
	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(1)	03 कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/ नए निर्माण			
	मूल	2,000.00		
	पूरक	300.00	3,491.67	3,491.67
	पुनर्वि०	1,191.67		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को ₹ 1,191.67 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
	102 खेलकूद स्टेडियम			
(2)	09 अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण			
	मूल	150.00		
			192.53	192.53
	पुनर्वि०	42.53		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 42.53 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	13 देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के भवन का निर्माण			
	मूल	200.00		
			250.44	250.44
	पुनर्वि०	50.44		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 50.44 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	16 आउटडोर फील्ड, इंडोर हाल व मिनी स्टेडियम/ओपन जिम का निर्माण			
	मूल	450.00		
			664.60	638.42
	पुनर्वि०	214.60		(-)26.18
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 188.42 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 26.18 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 18 विशेष आयोजनागत सहायता			
मूल	0.01		
		50.01	
पुनर्वि०	50.00	50.00	(-)0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2022 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
800 अन्य व्यय			
(6) 03 कौड़ियाला एवं गुलारभोज में साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण अनुरक्षण			
मूल	10.00		
पूरक	57.40	197.91	0.00
पुनर्वि०	130.51		
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2022 को ₹15.00 लाख, दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 57.40 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 58.11 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	36,09,08,96			
		40,31,93,40	34,88,09,45	(-)5,43,83,95
पूरक	4,22,84,44			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	3,85,07,42			
		3,95,07,42	2,98,37,44	(-)96,69,98
पूरक	10,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 86,87 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 54,383.95 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 54,383.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 42,284.44 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	1,95,133.60	1,44,115.60	51,018.00
2018-19	2,22,290.42	1,72,645.40	49,645.02
2019-20	2,30,224.31	1,78,243.01	51,981.30
2020-21	2,38,341.58	2,09,904.32	28,437.26
2021-22	3,19,846.44	2,47,475.50	72,370.94

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 03 एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों का अधिष्ठान

मूल 37,611.51

पूरक 30.00 37,599.01 33,599.38 (-)3,999.63

पुनर्वि० (-)42.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2023 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि औषधि तथा रसायन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 542.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना

मूल 74.00

90.00 63.73 (-)26.27

पुनर्वि० 16.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 16.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 11 ब्लड बैंक की स्थापना/अधिष्ठान

मूल 320.50

320.50 263.42 (-)57.08

(4) 14 विधान सभा में रा०एलो० औषधालय की स्थापना

मूल 127.25

127.25 110.15 (-)17.10

(5) 15 चिकित्सा प्रबन्धन समिति के अधीन क्रियाशील चिकित्सालयों हेतु बजट व्यवस्था

मूल 4,000.00

4,000.00 3,585.00 (-)415.00

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(6)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में रा० एलोपैथिक औषधालय की स्थापना/अधिष्ठान				
	मूल	137.70	137.70	122.63	(-)15.07
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय का अधिष्ठान				
	मूल	3,234.51			
	पूरक	1,030.00	4,314.51	3,606.81	(-)707.70
	पुनर्वि०	50.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	23 गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना				
	मूल	815.50			
			315.50	152.30	(-)163.20
	पुनर्वि०	(-)500.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2023 को ₹ 500.00 लाख की कमी औषधि एवं रसायन में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान				
	मूल	442.80			
			460.73	327.47	(-)133.26
	पुनर्वि०	17.93			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 16.00 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 1.93 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(10)	25 चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण				
	मूल	250.00	250.00	204.41	(-)45.59
(11)	97 बाह्य सहायतित परियोजनायें				
	मूल	20,000.00	20,000.00	16,283.00	(-)3,717.00
(12)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	176.81	176.81	138.58	(-)38.23

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम (राज्य पोषित)			
	मूल	994.50	994.50	846.51
				(-)147.99
(14)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण			
	मूल	101.00		
			158.37	80.43
	पुनर्वि०	57.37		(-)77.94
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2022 को ₹ 57.37 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	800 अन्य व्यय			
(15)	06 विभिन्न मेलों/तीर्थ यात्रा मार्गों/कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु बजट व्यवस्था			
	मूल	211.51	211.51	106.41
				(-)105.10
	<i>02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ</i>			
	101 आयुर्वेद			
(16)	08 आयुर्वेदिक			
	मूल	20,901.10		
			21,015.05	18,726.15
	पूरक	113.95		(-)2,288.90
(17)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	250.00	250.00	223.94
				(-)26.06
	102 होम्योपैथी			
(18)	03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	203.89		
			194.35	174.10
	पुनर्वि०	(-)9.54		(-)20.25
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 9.54 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी			
	101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
(19)	03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट का अधिष्ठान			
	मूल	6,234.75		
	पुनर्वि०	40.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	6,274.75	5,601.47	(-)673.28
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(20)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना			
	मूल	13,740.02		
	पुनर्वि०	75.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2022 को ₹ 75.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	13,815.02	12,136.52	(-)1,678.50
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(21)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	16,713.02		
	पूरक	125.00		
	पुनर्वि०	275.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2022 को ₹ 100.00 लाख तथा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 175.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	17,113.02	14,875.15	(-)2,237.87
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	77,178.00		
	पूरक	11,000.00		
		88,178.00	77,266.00	(-)10,912.00
(23)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	14,187.00		
	पूरक	6,000.00		
		20,187.00	13,353.74	(-)6,833.26

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय			
(24)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	127.25	127.25	91.15
				(-)36.10
	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(25)	04 मेडिकल कालेज			
	मूल	41,317.80		
			43,288.99	36,610.73
				(-)6,678.26
	पूरक	1,971.19		
(26)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	2,246.11		
			2,408.25	1,698.27
				(-)709.98
	पूरक	162.14		
(27)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	230.52		
			358.62	285.54
				(-)73.08
	पूरक	128.10		
	06 लोक स्वास्थ्य			
	003 प्रशिक्षण			
(28)	03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	452.75		
			467.75	327.78
				(-)139.97
	पुनर्वि०	15.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, उपकरण, मशीन तथा सज्जा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(29)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	89.78	89.78	68.81
				(-)20.97

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	06 कुष्ठ चिकित्सालयों का अधिष्ठान			
	मूल	946.51		
	पूरक	41.20	992.71	816.28
	पुनर्वि०	5.00		(-)176.43
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(31)	08 राज्य एडस एवं रक्त संचरण परिषद हेतु (राज्यांश)			
	मूल	90.00	90.00	30.00
				(-)60.00
(32)	13 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार			
	मूल	100.00	100.00	10.90
				(-)89.10
(33)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन (पी.पी.पी)			
	मूल	4,000.00		
			2,100.00	852.59
	पुनर्वि०	(-)1,900.00		(-)1,247.41
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 1,900.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
	800 अन्य व्यय			
(34)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण			
	मूल	150.00	150.00	117.24
				(-)32.76
	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(35)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	781.52		
			1,531.52	790.13
	पूरक	750.00		(-)741.39
	003 प्रशिक्षण			
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	367.50	367.50	274.13
				(-)93.37

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं				
(37) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	11,570.00			
		15,525.00	11,952.84	(-)3,572.16
पूरक	3,955.00			
102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें				
(38) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	405.76	405.76	363.87	(-)41.89

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी				
	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें				
(1)	08 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण				
	मूल	15.01	15.01	0.00	(-)15.01
	वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	800 अन्य व्यय				
(2)	16 स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन				
	मूल	100.00			
			27.63	0.00	(-)27.63
	पुनर्वि०	(-)72.37			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2022 को ₹ 57.37 लाख तथा दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				
	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
(3)	03 शिक्षा				
	मूल	50.01	50.01	0.00	(-)50.01
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
	06 लोक स्वास्थ्य				
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण				
(4)	14 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना				
	मूल	1,489.95	1,489.95	0.00	(-),1,489.95
	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण				
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	0.00			
			91.49	0.00	(-)91.49
	पूरक	91.49			
	800 अन्य व्यय				
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	800.10	800.10	0.00	(-)800.10
	वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(7)	14 स्वास्थ्य विभाग में पी0एम0यू0 का गठन				
	मूल	400.00			
			100.00	0.00	(-)100.00
	पुनर्वि०	(-)300.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2022 को ₹ 300.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए				
(8)	17 जनपदों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)				

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी

200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना			
मूल	319.00		
		325.00	330.23 (+)5.23
पुनर्वि०	6.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
06 लोक स्वास्थ्य			
(2) 101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना/अधिष्ठान			
मूल	72.85		
		126.45	83.70 (-)42.75
पुनर्वि०	53.60		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 नवम्बर 2022 को ₹ 22.00 लाख तथा दिनांक 02 मार्च 2023 को ₹ 31.60 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
800 अन्य व्यय			
(3) 11 पार्ट-टाईम दाईयों/आशा कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मानदेय/वार्षिक प्रोत्साहन			
मूल	3,150.10		
		5,050.10	4,320.15 (-)729.95
पुनर्वि०	1,900.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 1,900.00 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 9,669.98 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 9,669.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 1,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	14,655.03	6,394.01	8,261.02
2018-19	22,980.07	18,740.30	4,239.77
2019-20	18,821.65	9,759.50	9,062.15
2020-21	30,543.42	17,294.21	13,249.21
2021-22	48,064.24	31,319.47	16,744.77

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

	<i>01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1)	04 ब्लड बैंक, आई.सी.यु. इत्यादि का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	80.65 (-)19.35
(2)	23 बेस चिकित्सालय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)765.03	234.97	234.97 0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 765.03 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	30 मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई			
	मूल	500.00	500.00	325.46 (-)174.54
	<i>02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ</i>			
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(4)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	700.00	700.00	318.56 (-)381.44
	<i>03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
	105 एलोपैथी			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	22,366.43	22,366.43	16,561.22 (-)5,805.21

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(6)	09 राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना मूल	500.00		
			229.80	69.00
	पुनर्वि०	(-270.20)		(-160.80)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 270.20 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	13 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी) मूल	350.00	350.00	233.33
				(-116.67)
(8)	14 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का भवन निर्माण मूल	441.08		
			217.18	173.74
	पुनर्वि०	(-223.90)		(-43.44)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 223.90 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	17 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय मूल	150.00		
			119.95	119.95
	पुनर्वि०	(-30.05)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 30.05 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	3,664.87		
			1,634.47	1,634.44
	पुनर्वि०	(-2,030.40)		(-0.03)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2022 को ₹ 900.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 1,130.40 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(1)	04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि क्रय			
	मूल	200.00	200.00	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)200.00
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(2)	05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय			
	मूल	200.00	200.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)200.00
	03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
(3)	10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना			
	मूल	685.00		
	पुनर्वि०	(-)685.00	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 685.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			0.00
(4)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
(5)	15 मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़			
	मूल	2,500.00		
	पुनर्वि०	(-)2,500.00	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 2,500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xii)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:		
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1) 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था			
मूल	500.00		
		900.00	740.13
			(-)-159.87
पुनर्वि०	400.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 400.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2) 17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण			
मूल	500.00		
		865.03	865.03
			0.00
पुनर्वि०	365.03		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 365.03 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
<i>03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
105 एलोपैथी			
(3) 12 अलमोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना			
मूल	1,000.00		
		4,400.00	4,380.97
			(-)-19.03
पुनर्वि०	3,400.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2022 को ₹ 3,400.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत-

मूल	8,91,56,16			
		9,83,04,93	8,88,08,89	(-94,96,04
पूरक	91,48,77			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,62,92 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूंजीगत:

4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	12,19,29,37			
		15,13,96,26	10,35,65,60	(-4,78,30,66
पूरक	2,94,66,89			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 9,496.04 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 9,496.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 9,148.77 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	75,541.21	58,416.33	17,124.88	
2018-19	70,507.26	56,153.00	14,354.26	
2019-20	68,149.01	52,075.06	16,073.95	
2020-21	1,74,320.61	1,01,260.98	73,059.63	
2021-22	92,416.47	56,811.33	35,605.14	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

	01 जलापूर्ति				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	04 रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान				
	मूल	700.00			
			200.00	158.44	(-)41.56
	पुनर्वि०	(-)500.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2023 को ₹ 500.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।				
	005 सर्वेक्षण और अन्वेषण				
(2)	02 सौंग एवं जमरानी की डी0पी0आर0 निर्माण				
	मूल	200.00	200.00	100.00	(-)100.00
	101 शहरी जालापूर्ति कार्यक्रम				
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश				
	मूल	100.00	100.00	54.54	(-)45.46
(4)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित				
	मूल	1,100.00			
			100.00	33.33	(-)66.67
	पुनर्वि०	(-)1,000.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2023 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102	ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,100.00		
			1,196.42	648.45
	पूरक	96.42		(-)547.97
	02 मल निकासी एवं सफाई			
105	सफाई सेवाएँ			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	414.00	414.00	37.29
				(-)376.71
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	46.00	46.00	4.14
				(-)41.86
	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	09 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय			
	मूल	1,300.00	1,300.00	850.00
				(-)450.00
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	6,731.30		
			4,575.46	2,266.16
				(-)2,309.30
	पुनर्वि०	(-)2,155.84		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 को ₹ 107.90 लाख, दिनांक 21 फरवरी 2023 को ₹ 71.89 लाख, दिनांक 27 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 1,726.05 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	97 बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	4,147.00		
			4,347.50	2,259.50
	पूरक	200.50		(-)2,088.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(11)	03 शहरी विकास निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	725.50	725.50	414.60
				(-)310.90
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	02 हरिद्वार कुंभ/अर्ध कुंभ मेला अस्थायी अधिष्ठान			
	मूल	167.00		
			318.15	174.54
				(-)143.61
	पूरक	151.15		
(13)	03 नगर पंचायतों का चुनाव			
	मूल	421.36	421.36	336.82
				(-)84.54
(14)	04 उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग			
	मूल	86.72	86.72	28.28
				(-)58.44
(15)	06 उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद			
	मूल	124.50	124.50	87.63
				(-)36.87

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई				
01 जलापूर्ति				
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	02 पेयजल सलाहकार समिति			
	मूल	18.15		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-)18.15		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 18.15 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	03 कंसल्टेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 10.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(3)	052 मशीनरी तथा उपस्कर 02 नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर मूल 1,100.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,100.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 15 फरवरी 2023 को ₹ 1,100.00 लाख की कमी उपकरण, मशीन एवं सज्जा में हुई बचत के कारण किए गए			
(4)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 09 रिवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान मूल 55.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)55.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 55.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(5)	10 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान मूल 110.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)110.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 110.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2216 आवास			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
(6) 03 आवास विभाग में डी0पी0आर0 निर्माण			
मूल	200.00	200.00	0.00
			(-)200.00
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(7) 06 सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वालों, सपेरा आदि हेतु सहायता			
मूल	10.00	10.00	0.00
			(-)10.00
वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(8) 11 सफ़ाई कर्मचारी का बीमा			
मूल	31.50	31.50	0.00
			(-)31.50
800 अन्य व्यय			
(9) 19 नजूल भूमि फ्री होल्ड करने हेतु जमा धनराशि की वापसी			
मूल	50.00	50.00	0.00
			(-)50.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			
(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
2215 जल पूर्ति तथा सफ़ाई			
01 जलापूर्ति			
101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम			
(1) 06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना			
मूल	330.00		
		800.50	800.50
पुनर्वि०	470.50		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 470.50 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(2) 07 केन्द्रीय पोषित तथा बाह्य सहाययित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
मूल	8,000.00		
पूरक	2,500.00	12,835.77	12,835.77
पुनर्वि०	2,335.77		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक दिनांक 09 फरवरी 2023 को ₹ 1,837.26 लाख तथा दिनांक दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 498.51 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 47,830.66 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 47,830.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 29,466.89 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	83,099.99	63,750.51	19,349.48
2018-19	1,11,516.99	59,786.24	51,730.75
2019-20	1,43,214.01	1,01,540.98	41,673.03
2020-21	1,73,380.60	1,10,040.43	63,340.17
2021-22	2,30,585.60	1,33,642.61	96,942.99

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

<i>01 जल आपूर्ति</i>				
(1) 101 शहरी जल आपूर्ति				
05 नगरीय पेय जल				
मूल	1,210.00	1,210.00	1,067.39	(-)142.61
(2) 102 ग्रामीण जल आपूर्ति				
03 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण				
मूल	1,300.00	1,300.00	500.00	(-)800.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	6,000.01		
			14,364.53	7,757.70
	पूरक	8,364.52		(-)6,606.83
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	34,638.00	34,638.00	24,638.00
				(-)10,000.00
(5)	98 नाबार्ड वित्त पोषित			
	मूल	9,000.00	9,000.00	3,866.31
				(-)5,133.69
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवा			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,000.00	6,000.00	2,703.29
				(-)3,296.71
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	851.00	851.00	300.37
				(-)550.63
	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	051 निर्माण			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20,069.00		
	पूरक	11,402.37	26,528.97	24,474.40
	पुनर्वि०	(-)4,942.40		(-)2,054.57
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2023 को ₹ 4,942.40 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय					
01 जल आपूर्ति					
101 शहरी जल आपूर्ति					
(1)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं				
	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय					
01 राज्य की राजधानी का विकास					
051 निर्माण-कार्य					
(2)	02 मेट्रो रेल का निर्माण				
	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-)8,000.00
	वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास					
051 निर्माण					
(3)	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण				
	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
	वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	05 गैरसैंण में अवस्थापना कार्य				
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	06 आवास विभाग के अंतर्गत विभाग/प्राधिकरण/निगम/परिषद के उपयोगार्थ कार्यालय भवन निर्माण				
	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(6) 97 बाह्य सहायतित परियोजना			
मूल	1,510.00	1,510.00	0.00 (-)1,510.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
800 अन्य व्यय			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	50.31	50.31	0.00 (-)50.31
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 14 सूचना		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2220 सूचना तथा प्रसार

दत्तमत-

मूल	1,27,08,88			
		1,78,78,88	1,67,26,24	(-)11,52,64
पूरक	51,70,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,00,00			
		1,00,00	...	(-)1,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,152.64 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,152.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 5,170.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	4,346.25	4,015.99	330.26
2018-19	12,774.27	11,882.51	891.76
2019-20	7,604.13	5,599.57	2,004.56
2020-21	13,129.42	10,643.21	2,486.21
2021-22	39,514.93	38,340.93	1,174.00

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2220 सूचना तथा प्रसार			
<i>01 फिल्म</i>			
	105 फिल्मों का निर्माण		
(1)	06 फिल्म परिषद की स्थापना		
	मूल	600.00	
		410.00	408.13
	पुनर्वि०	(-190.00)	(-1.87)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 190.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।		
<i>60 अन्य</i>			
	102 सूचना केन्द्र		
(2)	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान		
	मूल	73.83	73.83
			57.70
			(-16.13)
(3)	04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर		
	मूल	26.61	
		28.41	17.01
	पुनर्वि०	1.80	(-11.40)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 1.80 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
(4)	106 क्षेत्र प्रचार		
	03 अधिष्ठान		
	मूल	496.77	
		526.77	378.75
	पुनर्वि०	30.00	(-148.02)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन की क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
800 अन्य व्यय				
(5) 03 स्वतंत्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय				
मूल	940.00			
		980.20	131.68	(-)848.52
पुनर्वि०	40.20			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 40.20 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6) 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति				
मूल	60.00			
		35.00	33.08	(-)1.92
पुनर्वि०	(-)25.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 25.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				
(7) 07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन				
मूल	50.00			
		8.00	4.62	(-)3.38
पुनर्वि०	(-)42.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 42.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।				

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2220 सूचना तथा प्रसार

60 अन्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	1,279.32		
पूरक	20.00	1,435.32	1,353.14
पुनर्वि०	136.00		(-)82.18
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 160.00 लाख की वृद्धि संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन की क्रय तथा आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 24.00 लाख की कमी अन्य व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2) 110 प्रकाशन			
03 अधिष्ठान			
मूल	568.86		
		692.86	688.08
पुनर्वि०	124.00		(-)4.78
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 124.00 लाख की वृद्धि सामान्य कार्यालय व्यय तथा प्रचार एवं प्रसार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 मिडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		

दत्तमत-

मूल	26,69,31,08		
		29,85,85,90	22,84,99,98 (-)7,00,85,92
पूरक	3,16,54,82		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 49,98 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 51,35,98 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	1,34,88,68		
		1,34,88,68	62,08,94 (-)72,79,74
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,75,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 70,085.92 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 70,085.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 31,654.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	1,49,697.05	1,17,214.13	32,482.92
2018-19	1,70,943.24	1,34,182.98	36,760.26
2019-20	1,85,921.41	1,44,405.00	41,516.41
2020-21	1,97,295.72	1,49,445.28	47,850.44
2021-22	2,34,344.19	1,64,571.09	69,773.10

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

	<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान			
	मूल	534.01		
			602.01	535.99
	पूरक	68.00		(-)66.02
(2)	06 आई.टी.सेल			
	मूल	131.83	131.83	58.29
				(-)73.54
	<i>03 पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन			
	मूल	92.47	92.47	49.19
				(-)43.28

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 आर्थिक विकास			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,109.00		
			1,003.15	673.07
	पुनर्वि०	(-105.85		(-330.08
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 105.85 लाख की कमी छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन में हुई बचत के कारण किए गए।			
	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण			
(5)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 प्रांतीय हज समिति को अनुदान			
	मूल	103.47	103.47	41.93
				(-61.54
(6)	04 अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान			
	मूल	179.50	179.50	152.95
				(-26.55
(7)	05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय			
	मूल	147.06		
			159.06	127.97
	पुनर्वि०	12.00		(-31.09
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को ₹ 7.00 लाख, दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 0.50 लाख तथा दिनांक 13 मार्च 2023 को ₹ 4.50 लाख की वृद्धि संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण, ईंधन का क्रय तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	06 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान			
	मूल	189.26	189.26	150.05
				(-39.21
	277 शिक्षा			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	761.93	761.93	373.94
				(-387.99
(10)	05 मुख्यमंत्री मेधावी अल्पसंख्यक बालिका प्रोत्साहन योजना			
	मूल	300.00	300.00	183.60
				(-116.40

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	06 मदरसा अरबी फ़ारसी बोर्ड मूल	118.71	118.71	80.03 (-)38.68
(12)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	70.00	70.00	35.52 (-)34.48
	800 अन्य व्यय			
(13)	02 मदरसे के लिए विविध अनुदान मूल	200.01	200.01	104.68 (-)95.33
(14)	05 अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मूल	15.00	15.00	9.99 (-)5.01
(15)	09 वक्फ ट्रिब्यूनलो हेतु सहायता मूल	64.38		
	पुनर्वि०	(-)5.00	59.38	32.25 (-)27.13
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 0.50 लाख तथा दिनांक 13 मार्च 2023 को ₹ 4.50 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।			

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

	02 समाज कल्याण			
	101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(16)	04 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र मूल	137.07	137.07	107.30 (-)29.77
(17)	07 दिव्यांग युवकों/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	25.00	25.00	17.00 (-)8.00
(18)	11 दिव्यांग जन आयुक्त कार्यालय मूल	35.76	35.76	22.77 (-)12.99
(19)	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र मूल	200.00	200.00	131.27 (-)68.73

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(20)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता			
	मूल	50.00	50.00	2.76
				(-)47.24
	102 बाल कल्याण			
(21)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	47,608.13		
	पूरक	2,591.99	49,492.07	25,538.46
	पुनर्वि०	(-)708.05		(-)23,953.61
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 644.35 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 63.70 लाख की कमी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अंतरण तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(22)	03 समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जानेवाला मानदेय			
	मूल	16,028.38		
			18,471.97	15,146.24
				(-)3,325.73
	पूरक	2,443.59		
(23)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र			
	मूल	365.80		
			367.01	295.72
				(-)71.29
	पुनर्वि०	1.21		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 1.21 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(24)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना			
	मूल	48.26		
			48.54	34.00
				(-)14.54
	पुनर्वि०	0.28		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 0.28 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(25)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें			
	मूल	145.01	145.01	125.93
				(-)19.08

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन			
	मूल	923.35		
			904.13	799.59
	पुनर्वि०	(-19.22)		(-104.54)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को ₹ 19.22 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(27)	15 निदेशालय			
	मूल	2,606.86		
			2,626.86	2,153.45
	पुनर्वि०	20.00		(-473.41)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(28)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना			
	मूल	3,193.80		
			4,523.80	3,549.48
	पूरक	1,330.00		(-974.32)
(29)	17 किशोर न्याय निधि की स्थापना			
	मूल	10.01	10.01	3.33
				(-6.68)
(30)	18 मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना			
	मूल	1,971.71	1,971.71	646.15
				(-1,325.56)
(31)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	5,083.24		
	पूरक	3,797.38	9,524.97	2,561.60
	पुनर्वि०	644.35		(-6,963.37)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 644.35 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 महिला कल्याण			
(32) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.01		
पूरक	776.35	840.06	63.70
पुनर्वि०	63.70		(-)776.36
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 63.70 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(33) 10 राज्य महिला आयोग की स्थापना			
मूल	129.85	129.85	114.82
			(-)15.03
(34) 13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण			
मूल	60.00		
		40.00	29.19
पुनर्वि०	(-)20.00		(-)10.81
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(35) 14 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन			
मूल	220.41	220.41	195.90
			(-)24.51
(36) 18 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था			
मूल	50.00	50.00	35.77
			(-)14.23
(37) 29 नंदा गौरा योजना			
मूल	50,000.00		
		63,072.86	33,496.22
पूरक	13,072.86		(-)29,576.64
(38) 32 मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना			
मूल	2,625.00	2,625.00	1,359.83
			(-)1,265.17
104 वृद्ध , अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(39) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	80.00	80.00	47.12
			(-)32.88

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(40)	03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	325.27		
			242.73	37.80
	पुनर्वि०	(-82.54		(-204.93
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 82.54 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(41)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	110.02	110.02	52.46
				(-57.56
(42)	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 06 अनार्यों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता मूल	10.00	10.00	2.78
				(-7.22
(43)	200 अन्य कार्यक्रम 04 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान मूल	900.00		
			500.00	439.00
	पुनर्वि०	(-400.00		(-61.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 400.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(44)	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,288.24	1,288.24	1,019.56
				(-268.68
(45)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 03 सैनिक कल्याण मूल	4,457.28		
			4,712.41	4,219.27
	पूरक	255.13		(-493.14

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(46) 05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान तथा अन्य सहायता			
मूल	35.00	35.00	28.00 (-)7.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 05 ओबीसी कल्याण परिषद			
मूल	19.74	19.74	0.00 (-)19.74
277 शिक्षा			
(2) 02 शहीद उधम सिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कारपस फण्ड			
मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3) 06 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड			
मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	195.00	195.00	0.00 (-)195.00
800 अन्य व्यय			
(5) 07 गोरखा कल्याण परिषद			
मूल	59.22	59.22	0.00 (-)59.22

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	09 बाबा साहेब फुले योजना मूल 5.00 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	5.00	0.00 (-)5.00
	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण		
	277 शिक्षा		
(7)	02 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल 203.00 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	203.00	0.00 (-)203.00
	800 अन्य व्यय		
(8)	03 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय मूल 17.00	17.00	0.00 (-)17.00
(9)	07 उत्तराखंड वक्फ विकास परिषद मूल 6.51	4.51	0.00 (-)4.51
	पुनर्वि० (-)2.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को ₹ 2.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(10)	08 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद मूल 8.75	3.75	0.00 (-)3.75
	पुनर्वि० (-)5.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को ₹ 5.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	01 पुर्नवास		
	202 अन्य पुनर्वास योजनायें		
(11)	02 कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास मूल 5.81	5.81	0.00 (-)5.81

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	673.73		
	पुनर्वि०	(-44.66)	629.07	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 44.66 लाख की कमी लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			(-)629.07
(13)	09 दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)10.00
(14)	21 सुगम उत्तराखण्ड अभियान के अंतर्गत बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा			
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	(-200.00)	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(15)	23 राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड			
	मूल	8.50	8.50	0.00
				(-)8.50
	103 महिला कल्याण			
(16)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना			
	मूल	11.72	11.72	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)11.72
(17)	22 परित्यक्त महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-27.27)	22.73	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 27.27 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)22.73

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18) 34 न्यायिक वाद के दौरान परित्यक्ताओं को गुजारा भत्ता			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(19) 08 वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता			
मूल	260.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)260.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 260.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
200 अन्य कार्यक्रम			
(20) 06 दिव्यांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना			
मूल	8.00	8.00	0.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)8.00
(21) 08 वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति			
मूल	19.24	19.24	0.00
			(-)19.24
(22) 09 समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति			
मूल	59.22		
		53.29	0.00
पुनर्वि०	(-)5.93		(-)53.29
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 5.93 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(23) 11 मुख्यमंत्री के सलाहकार (समाज कल्याण)			
मूल	19.74	19.74	0.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)19.74

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(24)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 24.25	24.25	0.00 (-)24.25
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(25)	800 अन्य व्यय 14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन मूल 15.31	15.31	0.00 (-)15.31
(26)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से उपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना मूल 50.00	22.85	0.00 (-)22.85
	पुनर्वि० (-)27.15		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 27.15 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(27)	08 डंगिरियों और जंगिरियों को मासिक पेंशन मूल 50.00	8.05	0.00 (-)8.05
	पुनर्वि० (-)41.95		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 41.95 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
	00		
	092 अन्य कार्यालय		
(28)	07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	277 शिक्षा				
(1)	01 केन्द्र द्वार पुरोनिधानित योजना				
	मूल	195.00			
			300.85	300.85	0.00
	पुनर्वि०	105.85			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 105.85 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

	02 समाज कल्याण				
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण				
(2)	20 दिव्यांग पेंशन, तिलु रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु				
	मूल	10,400.00			
	पूरक	861.66	11,605.30	11,491.23	(-)114.07
	पुनर्वि०	343.64			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 343.64 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

	103 महिला कल्याण				
(3)	15 निराश्रित विधवा पेंशन				
	मूल	23,000.00			
	पूरक	936.90	24,679.44	24,572.55	(-)106.89
	पुनर्वि०	742.54			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 742.54 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
(4) 03 मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान			
मूल	25.00		
		30.93	29.50
पुनर्वि०	5.93		(-)1.43
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 5.93 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

(5) 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन			
मूल	39,635.00		
पूरक	819.84	40,353.15	44,535.05
पुनर्वि०	(-)101.69		(+)4,181.90
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 101.69 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए। यद्यपि, प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात् अंतिम आधिक्य का प्राप्त होना बजट प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है।			

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 7,279.74 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	6,455.44	2,054.03	4,401.41
2018-19	8,029.05	3,787.12	4,241.93
2019-20	10,936.07	7,014.21	3,921.86
2020-21	15,198.16	7,275.05	7,923.11
2021-22	10,760.28	3,371.59	7,388.69

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>04 अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>			
190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य में निवेश उपक्रम			
(1)	02 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी		
	मूल	100.00	100.00
		45.10	(-)54.90
277 शिक्षा			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,100.00	2,100.00
		256.19	(-)1,843.81
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	300.00	300.00
		55.34	(-)244.66
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
102 बाल कल्याण			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,500.01	1,500.01
		555.97	(-)944.04
(5)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण		
	मूल	300.00	300.00
		26.08	(-)273.92
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	359.61	359.61
		61.77	(-)297.84
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम</i>			
800 अन्य व्यय			
(7)	03 सैनिक कल्याण		
	मूल	1,746.00	
		170.01	20.00
			(-)150.01
	पुनर्वि०	(-)1,575.99	

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 1,575.99 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

277 शिक्षा

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य में निवेश उपक्रम

(4) 03 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लिए अंश पूंजी

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

800 अन्य व्यय

(5) 04 अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण

मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
-----	-------	-------	------	----------

(6) 06 कब्रिस्तानों में चहार दिवारी का निर्माण

मूल	1000.00			
-----	---------	--	--	--

		5.00	0.00	(-)5.00
--	--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)995.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को ₹ 888.69 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 106.31 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत व्यय

	<i>02 समाज कल्याण</i>				
	101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण				
(7)	06 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं और बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माण				
	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00
	102 बाल कल्याण				
(8)	05 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना				
	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	103 महिला कल्याण				
(9)	06 किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण				
	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
(10)	09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण				
	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00
(11)	10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)				
	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

800 अन्य व्यय

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य			
मूल	300.00		
पुनर्वि०	995.00		
	1,295.00	1,294.93	(-)0.07
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को ₹ 888.69 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 106.31 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
800 अन्य व्यय			
(2) 04 शौर्य स्थल			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	1,575.99		
	3,575.99	3,575.99	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 1,575.99 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

दत्तमत-

मूल	5,36,54,77			
		5,61,19,50	3,46,05,31	(-)2,15,14,19
पूरक	24,64,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 97,11 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	68,77,11			
		68,77,11	48,33,67	(-)20,43,44
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 21,514.19 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 21,514.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,464.73 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	व्यय	
	(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	
2017-18	2,37,85.06	2,18,79.41	19,05.65	
2018-19	3,68,17.83	2,21,60.48	1,46,57.35	
2019-20	4,35,22.46	2,88,77.70	1,46,44.76	
2020-21	4,90,59.96	3,34,85.12	1,55,74.84	
2021-22	39,566.11	33,602.75	5,963.36	

(vi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
01 श्रम				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	336.01	336.01	300.01
				(-)36.00
101 औद्योगिक संबन्ध				
(2)	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन			
	मूल	943.75	943.75	823.87
				(-)119.88
(3)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	43.10	43.10	23.48
				(-)19.62
(4)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान			
	मूल	243.50		
			248.10	214.36
				(-)33.74
	पुनर्वि०	4.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2023 को ₹ 4.60 लाख की वृद्धि यात्रा भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	102 कार्यो की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	155.57		
			150.97	105.64
				(-)45.33
	पुनर्वि०	(-)4.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2023 को ₹ 4.60 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 रोजगार सेवाएं			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(6)	03 रोजगार संबन्धी अधिष्ठान			
	मूल	1,207.52		
	पूरक	31.00		
			1,238.52	1,052.90
				(-)185.62
	101 रोजगार सेवायें			
(7)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	108.61		
	पूरक	7.71		
			116.32	100.18
				(-)16.14
(8)	09 विदेश रोजगार प्रकोष्ठ			
	मूल	200.00	200.00	58.37
				(-)141.63
	03 प्रशिक्षण			
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(9)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
	मूल	12,257.01		
	पूरक	209.02		
			12,466.03	11,125.91
				(-)1,340.12
(10)	97 बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	15,000.00	15,000.00	1,000.00
				(-)14,000.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
	01 श्रम			
	103 सामान्य श्रम कल्याण			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	450.00	450.00	0.00
				(-)450.00

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,277.73	2,277.73	0.00 (-)2,277.73
(3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	180.17	180.17	0.00 (-)180.17
102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,400.00	2,400.00	0.00 (-)2,400.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 2,043.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	1,425.00	1,071.22	353.78
2018-19	1,400.22	1,095.96	304.26
2019-20	1,534.49	421.74	1,112.75
2020-21	4,500.01	3,585.31	914.70
2021-22	11,701.00	5,114.99	6,586.01

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन			
051 निर्माण			
(1) 97 बाह्य सहायतित परियोजना			
मूल	5,000.00	5,000.00	3,500.00 (-)1,500.00

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2) 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण			
मूल	400.00	400.00	342.26 (-)57.74
003 प्रशिक्षण			
(3) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	1,477.11	1,477.11	991.41 (-)485.70

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2401	फसल कृषि कर्म
2415	कृषि अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	11,55,29,87			
		11,93,93,55	9,59,41,13	(-)2,34,52,42
पूरक	38,63,68			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,99,98 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	50,90,06			
		69,20,63	44,42,28	(-)24,78,35
पूरक	18,30,57			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 23,452.42 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ii) ₹ 23,452.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,863.68 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	90,130.10	83,724.99	6,405.11
2018-19	1,13,796.89	96,812.47	16,984.42
2019-20	1,20,727.53	88,889.38	31,838.15
2020-21	1,17,645.59	98,847.75	18,797.84
2021-22	1,14,145.81	1,00,785.18	13,360.63

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 28,899.21

29,142.83 17,563.86 (-)11,578.97

पूरक 243.62

(2) 06 जलागम प्रबंधन निदेशालय/पी0एम0के0एस0

मूल 110.59

पूरक 556.32 683.91 169.68 (-)514.23

पुनर्वि० 17.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को ₹ 17.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 07 कृषक मित्र परिषद का भुगतान

मूल 66.39 66.39 57.19 (-)9.20

(4) 11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवन परिषद

मूल 29.50 29.50 1.59 (-)27.91

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	3,773.00		
			3,800.07	1,948.28
	पूरक	27.07		(-),851.79
(6)	97 बाह्य सहायतित परियोजनायें			
	मूल	2,148.64		
	पूरक	1,219.00	3,350.64	2,401.58
	पुनर्वि०	(-),17.00		(-),949.06
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को ₹ 17.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	103 बीज			
	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र			
	मूल	64.95		
			52.78	44.19
	पुनर्वि०	(-),12.17		(-),8.59
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 12.17 लाख की कमी मजदूरी, मशीन, अन्य विभागीय व्यय, सामग्री तथा सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	108 वाणिज्यिक फसलें			
	06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड			
	मूल	15.60	15.60	0.17
				(-),15.43
(9)	07 गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति			
	मूल	0.01		
			399.01	358.61
	पूरक	399.00		(-),40.40
(10)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (100 प्रतिशत)			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,697.70		
			6,697.71	4,803.69
	पूरक	0.01		(-),1,894.02

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	1,006.30	1,006.30	538.05 (-468.25)
(12)	110 फसल बीमा 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	400.00	400.00	323.52 (-76.48)
(13)	111 कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 02 कृषि इन्श्योरेंसे सर्वेक्षण मूल	100.00	20.50	12.50 (-8.00)
	पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2023 को ₹ 79.50 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।	(-79.50)		
(14)	114 तिलहन विकास 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	45.00	45.00	7.25 (-37.75)
2415 कृषि अनुसंधान				
80 सामान्य				
(15)	120 अन्य संस्थाओं को सहायता 03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान मूल	23,000.00	23,000.00	20,000.00 (-3,000.00)
(16)	09 पटवाडांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मूल	0.00	500.00	200.00 (-300.00)
	पूरक	500.00		
(17)	13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली मूल	263.77	263.77	77.85 (-185.92)
(18)	14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसैण मूल	325.14	325.14	52.41 (-272.73)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(19)	15 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान डोईवाला मूल	222.40	222.40	95.63	(-)126.77
(20)	25 जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम हेतु सहायता मूल	0.00			
	पूरक	600.00	600.00	400.00	(-)200.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 15 एकीकृत कृषि ग्राम योजना

मूल 1,200.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)1,200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को ₹ 60.80 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 1,139.20 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

108 वाणिज्यिक फसलें

(2) 05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति

मूल 20.00 20.00 0.00 (-)20.00

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 कृषि निवेश भंडारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण			
	मूल	547.31		
			608.11	596.95
				(-)11.16
	पुनर्वि०	60.80		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को ₹ 60.80 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	12 आयोग एवं परिषद के भुगतान			
	मूल	40.50		
			52.67	52.57
				(-)0.10
	पुनर्वि०	12.17		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 12.17 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	18 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना			
	मूल	2,000.00		
			3,139.20	3,139.20
				0.00
	पुनर्वि०	1,139.20		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 1,139.20 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
पूँजीगत:				
दत्तमत-				
(vii)	₹ 2,478.35 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			
(viii)	₹ 2,478.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 1,830.57 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।			
(ix)	₹ 2,368.77 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)			

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 02 भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	500.00	500.00	132.94	(-367.06)
-----	--------	--------	--------	-----------

800 अन्य व्यय

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	1,000.00			
-----	----------	--	--	--

पूरक	1,671.81	2,235.22	628.50	(-1,606.72)
------	----------	----------	--------	-------------

पुनर्वि०	(-436.59)			
----------	-----------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को ₹ 436.59 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

113 कृषि इंजीनियरिंग

02 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर हेतु विशेष अनुदान

मूल	500.00	500.00	0.00	(-500.00)
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान समाप्त.			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(xii)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
00				
103	बीज			
03	खाद्य/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित			
	मूल	1,550.00		
			1,986.59	1,982.07
				(-)4.52
	पुनर्वि०	436.59		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को ₹ 436.59 लाख की वृद्धि सामग्री एवं सम्पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 18 सहकारिता कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2425 सहकारिता			
दत्तमत-			
मूल	1,24,04,86		
		1,24,79,86	1,12,89,60
			(-)11,90,26
पूरक	75,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
पूंजीगत:			
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
दत्तमत-			
मूल	82,00,00		
		87,00,00	73,00,00
			(-)14,00,00
पूरक	5,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
टिप्पणियां एवं टीकायें			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i)	₹ 1,190.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी		
(ii)	₹ 1,190.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 75.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2425 सहकारिता			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण			
	मूल	3,675.80	3,675.80	3,183.90
				(-)491.90
(2)	05 सहकारिता न्यायधिकरण			
	मूल	112.20		
			177.20	100.68
	पूरक	65.00		(-)76.52
(3)	06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण			
	मूल	35.00	35.00	17.51
				(-)17.49
	800 अन्य व्यय			
(4)	32 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा देय अनुदान			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,400.00
				(-)600.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (iv) ₹ 1,400.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 1,400.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 500.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

	00			
	200 अन्य निवेश			
(1)	07 निबन्धक कार्यालय भवन निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-)200.00

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
6425 सहकारिता के लिए कर्ज 00			
108 अन्य सहकारी समितियों को ऋण			
(2) 03 उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को एकमुश्त कार्यशील पूंजी मूल	0.00		
		500.00	0.00
पूरक	500.00		(-)500.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

मूल	11,61,43,99			
		14,11,78,62	11,56,36,18	(-)2,55,42,44
पूरक	2,50,34,63			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 29,04,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 76,77,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	25,37,69,38			
		28,87,69,38	18,51,71,56	(-)10,35,97,82
पूरक	3,50,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 25,542.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 25,542.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 25,034.63 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	1,21,225.33	65,443.91	55,781.42
2018-19	1,00,400.58	79,809.17	20,591.41
2019-20	1,02,613.11	68,316.43	34,296.68
2020-21	1,02,482.02	77,291.18	25,190.84
2021-22	1,04,666.13	75,873.15	28,792.98

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्वरोजगार कार्यक्रम

(1)	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	5,635.18	5,635.18	3,459.28	(-2,175.90)
(2)	02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत गठित प्रकोष्ठ	मूल	76.35	76.35	22.17	(-)54.18
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश	मूल	530.96	530.96	356.74	(-)174.22

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

(4)	001 निदेशन तथा प्रशासन 03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	मूल	512.50	512.50	401.87	(-)110.63
(5)	05 ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं	मूल	5,414.81	5,414.81	4,715.10	(-)699.71
(6)	003 प्रशिक्षण 03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	मूल	1,057.73	1,057.73	914.79	(-)142.94

		अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...		
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 पंचायती राज			
(7)	17 वन पंचायत			
	मूल	28.60	28.60	22.74
				(-)5.86
(8)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ			
	मूल	70.30		
			71.55	61.30
	पूरक	1.25		(-)10.25
(9)	20 क्षेत्र पंचायतो के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)			
	मूल	6,738.00	6,738.00	5,430.06
				(-)1,307.94
	102 सामुदायिक विकास			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	23,200.02		
	पूरक	4,528.40	24,820.56	14,179.46
	पुनर्वि०	(-)2,907.86		(-)10,641.10
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 2,907.86 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(11)	03 जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान			
	मूल	16,978.76	16,978.76	14,657.91
				(-)2,320.85
(12)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान			
	मूल	8,624.90	8,624.90	7,304.72
				(-)1,320.18
(13)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	45.14	45.14	37.15
				(-)7.99
(14)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान			
	मूल	400.00	400.00	61.78
				(-)338.22
(15)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	1,565.93	1,565.93	1,200.03
				(-)365.90

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	34 ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग मूल	160.50	160.50	112.45 (-)48.05
(17)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	3,895.38		
	पूरक	280.93	3,547.40	1,938.78 (-)1,608.62
	पुनर्वि०	(-)628.91		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 628.91 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

	102 सामुदायिक विकास			
(1)	42 ग्राम विकास मास्टर प्लान मूल	0.00		
			500.00	0.00 (-)500.00
	पूरक	500.00		
(2)	43 एस0एस0जी0 उत्पादों का विपणन और ब्रांडिंग मूल	0.00		
			200.00	0.00 (-)200.00
	पूरक	200.00		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2505 ग्राम रोजगार

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल 17,000.01

पूरक 13,763.88 33,671.75 31,675.29 (-)1,996.46

पुनर्वि० 2,907.86

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 2,907.86 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 1,03,597.82 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 1,03,597.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 35,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,84,000.01 1,84,000.01 1,29,716.00 (-)54,284.01

(2) 05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान

मूल 2,000.00

10,000.00 460.63 (-)9,539.37

पुनर्वि० 8,000.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को ₹ 8,000.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 07 विधायक निधि

मूल 25,968.25 25,968.25 20,328.00 (-)5,640.25

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	20,478.71	20,478.71	14,551.54 (-)5,927.17
(5)	96 पिछली योजनाओं के मुकाबले टॉप-अप मूल	0.00		
	पूरक	35,000.00	30,700.00	7,961.89 (-)22,738.11
	पुनर्वि०	(-)4,300.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 4,300.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	103 ग्रामीण विकास 02 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण मूल	82.38	82.38	42.00 (-)40.38

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

00

	102 सामुदायिक विकास			
(1)	03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण हेतु/एन.पी.बी. का भुगतान मूल	10,000.00		
	पुनर्वि०	(-)8599.14	1,400.86	0.00 (-)1,400.86
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को ₹ 8,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 599.14 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	15 उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त. कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:		
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>00</i>		
	102 सामुदायिक विकास		
(1)	12 मेरा गाँव मेरी सड़क		
	मूल	700.00	
		1,299.14	1,072.95
			(-)226.19
	पुनर्वि०	599.14	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 599.14 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
(2)	21 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि		
	मूल	1,500.00	
		5,800.00	2,545.55
			(-)3,254.45
	पुनर्वि०	4,300.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 4,300.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
		कुल अनुदान/ विनियोग		
राजस्व:				
2700	मुख्य सिंचाई			
2701	मध्यम सिंचाई			
2702	लघु सिंचाई			
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास			
दत्तमत-				
	मूल	5,66,31,84		
			5,66,31,84	4,94,17,53
	पूरक	...		(-72,14,31)
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
भारित-				
	मूल	3,00,00		
			3,00,00	41,60
	पूरक	...		(-2,58,40)
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
पूंजीगत:				
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-				
	मूल	7,59,87,03		
			7,59,87,03	3,54,94,38
	पूरक	...		(-4,04,92,65)
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
टिप्पणियां एवं टीकायें				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i)	₹ 7,214.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	44,419.71	40,761.96	3,657.75
2018-19	50,017.70	42,796.45	7,221.25
2019-20	57,771.57	42,394.43	15,377.14
2020-21	55,926.05	43,072.99	12,853.06
2021-22	52,041.81	44,536.08	7,505.73

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 निदेशन

मूल	4,811.00			
		4,786.00	4,161.51	(-)624.49

पुनर्वि० (-)25.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 25.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 03 कार्यकारी अधिष्ठान

मूल	28,567.00			
		28,592.00	24,041.45	(-)4,550.55

पुनर्वि० 25.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 04 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित) हेतु एक मुश्त व्यवस्था

मूल	150.00	150.00	133.15	(-)16.85
-----	--------	--------	--------	----------

(4) 05 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान

मूल	18.84	18.84	3.21	(-)15.63
-----	-------	-------	------	----------

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	005 सर्वेक्षण			
(5)	02 डी०पी०आर० निर्माण			
	मूल	400.00	400.00	189.96 (-)210.04
2701 मध्यम सिंचाई				
	80 सामान्य			
	001 निर्देशन तथा प्रशासन			
(6)	02 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य			
	मूल	200.00	200.00	5.03 (-)194.97
2702 लघु सिंचाई				
	02 भूजल			
	005 अन्वेषण			
(7)	03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आंकलन एवं सुदृढीकरण			
	मूल	3,577.28	3,577.28	3,184.86 (-)392.42
	80 सामान्य			
	005 अन्वेषण			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	224.00	224.00	83.57 (-)140.43

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई				
	80 सामान्य			
	001 निर्देशन तथा प्रशासन			
(1)	97 बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

2702 लघु सिंचाई

	02 भूजल			
	005 अन्वेषण			
(2)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति			
	मूल	14.16	14.16	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)14.16
(3)	06 डी०पी०आर० निर्माण हेतु			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)10.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

राजस्व:

भारित-

- (v) ₹ 258.40 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 कार्यकारी अधिष्ठान

मूल	300.00	300.00	41.60	(-)258.40
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।				

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 40,492.65 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(viii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 नलकूप, नहर एवं लघु नहर निर्माण			
(1)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	15,000.00		
			11,950.56	11,412.59
	पुनर्वि०	(-3,049.44)		(-537.97)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 को ₹ 3,049.44 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	13 सौंग बांध का निर्माण			
(2)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 अन्य व्यय			
	मूल	12,000.00		
			7,000.00	271.87
	पुनर्वि०	(-5,000.00)		(-6,728.13)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 5,000.00 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	18 बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार			
(3)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 अन्य व्यय			
	मूल	1,000.00	1,000.00	268.87
				(-731.13)
	80 सामान्य			
(4)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.वी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि			
	मूल	22,000.00	22,000.00	430.83
				(-21,569.17)
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
(5)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 जल संवर्धन जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण			
	मूल	700.00	700.00	76.65
				(-623.35)

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	05 नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य			
	मूल	1,500.00		
			300.00	230.73
	पुनर्वि०	(-1,200.00)		(-)69.27
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2022 को ₹ 1,200.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	04 फ्लड प्लेन जोनिंग			
	मूल	300.00	300.00	97.48
				(-)202.52
(8)	05 निरीक्षण/कार्यालय भवनों का निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	34.18
				(-)265.82
(9)	06 बलिया नाला का उपचार			
	मूल	2,000.00		
			650.00	68.35
	पुनर्वि०	(-1,350.00)		(-)581.65
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 1,350.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण			
	03 निर्माण कार्य			
	मूल	150.00	150.00	62.76
				(-)87.24
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,000.00	4,000.00	2,049.68
				(-)1,950.32
(12)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	800.00	800.00	227.75
				(-)572.25

		अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...		
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 भूजल			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,200.00		
		1,500.00	514.00	(-)986.00
	पुनर्वि०	(-)700.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को ₹ 700.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	800 अन्य व्यय			
(14)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	2,200.00	2,200.00	1,011.70
				(-)1,188.30
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,500.00	1,500.00	277.39
				(-)1,222.61
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			
(ix)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	800.01	800.01	0.00
				(-)800.01
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
<i>15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(3) 02 अन्य व्यय				
मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
<i>80 सामान्य</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(4) 97 बाह्य सहायतित परियोजना				
मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
<i>80 सामान्य</i>				
003 प्रशिक्षण				
(5) 04 प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण/शोध कार्य				
मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
004 शोध कार्यक्रम				
(6) 03 निर्माण कार्य				
मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				
(7) 03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी				
मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
<i>01 बाढ़ नियंत्रण</i>				
103 सिविल निर्माण कार्य				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	150.00	150.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)			(-)150.00
(x)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 भूजल			
(1)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	247.00		
			947.00	297.11
	पुनर्वि०	700.00		(-)649.89
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को ₹ 700.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(2)	07 मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संपादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का निर्माण/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण			
	मूल	1,500.00		
			9,050.00	9,005.34
	पुनर्वि०	7,550.00		(-)44.66
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को ₹ 1,200.00 लाख, दिनांक 14 फरवरी 2023 को ₹ 5,000.00 लाख तथा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 1,350.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(3)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	5,000.00		
			8,049.44	7,909.20
	पुनर्वि०	3,049.44		(-)140.24
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 को ₹ 3,049.44 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

(xi) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2022-23 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-III एवं IV** में दिया गया है।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	21 ऊर्जा कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2801	बिजली			
2810	नई और नवीकरणीय उर्जा			

दत्तमत-

मूल	31,30,34			
		31,30,34	16,66,64	(-)14,63,70
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

दत्तमत-

मूल	4,51,44,19			
		4,51,44,19	1,32,49,34	(-)3,18,94,85
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 1,463.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	1,151.21	1,129.08	22.13
2018-19	1,323.86	1,110.86	213.00
2019-20	1,420.13	1,263.81	156.32
2020-21	2,431.70	2,054.48	377.22
2021-22	1,421.54	1,310.32	111.22

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा

02 सोलर एनर्जी

102 सोलर फोटोवोल्टायिक कार्यक्रम

03 सोलर फोटोवोल्टायिक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता

मूल	2,000.00	2,000.00	540.00	(-)1,460.00
-----	----------	----------	--------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)|

पूंजीगत: दत्तमत-

(iv) ₹ 31,894.85 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(v) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	21,000.00	21,000.00	3,858.00	(-)17,142.00
-----	-----------	-----------	----------	--------------

(2) 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश

मूल	5,000.00	5,000.00	375.00	(-)4,625.00
-----	----------	----------	--------	-------------

(3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	2,300.00	2,300.00	16.34	(-)2,283.66
-----	----------	----------	-------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 10 जल विद्युत परियोजना हेतु किसान कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
(2)	12	त्यूनी आराकोट जल विद्युत परियोजना में निवेश		
		मूल	500.00	500.00
		वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	(-)500.00
		05 पारेषण एवं वितरण		
		190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश		
(3)	97	बाह्य सहायतित परियोजनाएं		
		मूल	2,744.14	2,744.14
		वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	(-)2,744.14
		6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		
		00		
		190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण		
(4)	97	बाह्य सहायतित परियोजना		
		मूल	4,500.00	4,500.00
		उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।	0.00	(-)4,500.00

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	---------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2059	लोक निर्माण कार्य
2216	आवास
3054	सड़क तथा सेतु

दत्तमत-

मूल	9,93,06,50			
		10,49,43,22	9,02,35,38	(-)1,47,07,84
पूरक	56,36,72			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

भारित-

मूल	10,78,30			
		10,78,30	6,32,56	(-)4,45,74
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	13,45,80,00			
		15,65,80,00	12,35,13,74	(-)3,30,66,26
पूरक	2,20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 14,707.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 14,707.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 5,636.72 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	70,545.93	64,183.69	6,362.24
2018-19	87,536.29	71,630.12	15,906.17
2019-20	89,328.10	66,667.78	22,660.32
2020-21	98,685.65	76,969.95	21,715.70
2021-22	1,06,748.33	86,777.70	19,970.63

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 निदेशन				
	मूल	5,999.00			
			6,005.72	5,323.06	(-)682.66
	पूरक	6.72			
(2)	05 कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु				
	मूल	800.00	800.00	582.92	(-)217.08
	051 निर्माण				
(3)	03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड				
	मूल	48,837.50			
			49,049.18	41,705.79	(-)7,343.39
	पुनर्वि०	211.68			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2022 को ₹ 211.68 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	053 रख-रखाव तथा मरम्मत				
(4)	02 सर्किट हाउस कार्यालय भवनों की निगरानी और रखरखाव-सामान्य और विशेष मरम्मत				
	मूल	270.00	270.00	183.79	(-)86.21

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2216 आवास			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	03 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण			
	मूल	800.00	800.00	675.48 (-)124.52
	3054 सड़क तथा सेतु			
	01 राष्ट्रीय राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,000.00	5,000.00	151.19 (-)4,848.81
	03 राज्य राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(7)	04 मोटर मार्ग के अनुरक्षण हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था			
	मूल	550.00		
			970.00	651.43 (-)318.57
	पूरक	420.00		
	04 जिला एवं अन्य सड़के			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(8)	05 मोटर मार्ग के अनुरक्षण हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था			
	मूल	530.00		
			238.32	225.65 (-)12.67
	पुनर्वि०	(-291.68		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2022 को ₹ 211.68 लाख तथा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 80.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

राजस्व:
भारित-

- (v) ₹ 445.74 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ वास्तविक			आधिक्य (+)
	विनियोग	व्यय	व्यय	बचत (-)
(₹ लाख में)				
(vi)	विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-			
			(₹ लाख में)	
	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
	2017-18	730.00	334.80	395.20
	2018-19	1,100.00	486.57	613.43
	2019-20	746.00	469.00	277.00
	2020-21	1,100.00	753.89	346.11
	2021-22	972.00	855.21	116.79

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2216 आवास

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 राजभवन (देहरादून एवं नैनीताल)

मूल	196.30	196.30	137.94	(-)58.36
-----	--------	--------	--------	----------

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़के

337 सड़क निर्माण कार्य

(2) 06 न्यायालयों की आज्ञापत्तियों का भुगतान (भारित)

मूल	500.00	500.00	146.74	(-)353.26
-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) ₹ 33,066.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) ₹ 33,066.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 22,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(x)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	051 निर्माण			
(1)	02 लोक निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	10.00	10.00	0.20
				(-)9.80
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 राज्य राजमार्ग			
	101 पुल			
(2)	03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण			
	मूल	1,500.00	1,500.00	1,174.23
				(-)325.77
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	34,000.00		
			41,000.00	33,434.24
				(-)7,565.76
	पूरक	7,000.00		
(4)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	33,000.00	33,000.00	16,047.45
				(-)16,952.55

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 जिला तथा अन्य सड़कें
337 सड़क निर्माण कार्य

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	06 क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-96.21	403.79	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2023 को ₹ 96.21 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			(-403.79
(2)	97 बाह्य सहायतित योजना का सशक्तीकरण/ ए.डी.बी./विश्व बैंक सहायतित योजना के अंतर्गत सुदृढीकरण मूल	60.00	60.00	0.00
				(-60.00
	05 सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(3)	03 मुख्य नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे डक्ट का निर्माण मूल	500.00	500.00	0.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-500.00
	80 सामान्य			
	190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(4)	03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूजी/भारत सरकार के कार्य पर सेंटेंज मूल	100.00	100.00	0.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-100.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			
(xii)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
	05 बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण मूल	2,350.00		
	पुनर्वि०	96.21	2,446.21	2,429.12
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2023 को ₹ 96.21 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			(-17.09

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

(xiii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियों या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2022-23 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट- V** में दिया गया है।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	3,60,61,58			
		3,90,61,58	3,25,25,19	(-)65,36,39
पूरक	30,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	87,46,02			
		1,59,56,02	1,20,39,62	(-)39,16,40
पूरक	72,10,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 6,536.39 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 6,536.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	(₹ लाख में)
2017-18	18,345.47	14,044.13	4,301.34	
2018-19	25,087.27	19,783.36	5,303.91	
2019-20	29,618.75	22,130.60	7,488.15	
2020-21	36,847.68	22,220.87	14,626.81	
2021-22	39,411.47	27,730.05	11,681.42	
(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान			
	मूल	1,655.05	1,655.05	1,305.69 (-)349.36
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग				
00				
101 औद्योगिक परिसम्पत्ति				
(2)	04 मेगा इण्डस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान			
	मूल	5,000.00	5,000.00	3,370.53 (-)1,629.47
(3)	05 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (कार्यालय/सचिवालय)			
	मूल	200.00	200.00	20.00 (-)180.00
(4)	102 लघु उद्योग			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	2,199.50		
	पुनर्वि०	66.00	2,265.50	1,923.30 (-)342.20
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को ₹ 60.00 लाख तथा दिनांक 15 फरवरी 2023 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, उपयोगिता बिलों का भुगतान, संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा ईंधन के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	19 राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता परिषद को सहायता			
	मूल	50.00	50.00	6.78 (-)43.22

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	उद्योग क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	23	दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता मूल	500.00	500.00	344.91	(-)155.09
(7)	25	मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल	35.95	35.95	28.32	(-)7.63
(8)	27	माटी कला परिषद के लिए सहायता मूल	20.00	20.00	5.00	(-)15.00
(9)	30	महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना मूल	1,000.00	1,000.00	863.81	(-)136.19
(10)	103	हथकरघा उद्योग				
	11	खादी संस्थाओं को सहयोग मूल	25.00	25.00	6.25	(-)18.75
(11)	18	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश मूल	80.00	80.00	18.19	(-)61.81
	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग				
	02	खानों का विनियमन तथा विकास				
	001	निदेशन तथा प्रशासन				
(12)	03	खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल	2,909.50	2,909.50	1,687.53	(-)1,221.97
	102	खनिज खोज				
(13)	03	पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल	25.00	25.00	0.35	(-)24.65
(14)	04	खनन सर्विलांस मूल	153.00	153.00	133.00	(-)20.00
	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
	60	अन्य				
	004	अनुसंधान और विकास				
(15)	08	पटुआ डागर में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना मूल	500.00	500.00	166.67	(-)333.33

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	कुल अनुदान				
(16)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना मूल	518.00	518.00	400.00	(-)118.00
(17)	14 बायो टेक्नॉलाजी कार्यक्रम हेतु सहायता मूल	600.00	600.00	200.00	(-)400.00
	600 अन्य सेवायें				
(18)	03 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन मूल	2,653.00	2,653.00	2,001.45	(-)651.55

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1)	18 उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना मूल	6.35	6.35	0.00	(-)6.35
-----	---	------	------	------	---------

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	48 ग्रोथ सेंटर की स्थापना मूल	100.00			
			34.00	0.00	(-)34.00

पुनर्वि० (-)66.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को ₹ 60.00 लाख तथा दिनांक 15 फरवरी 2023 को ₹ 6.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	49 विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान			
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-750.00)	250.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 750.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-250.00)
(4)	51 निर्यात नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन			
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	(-150.00)	50.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को ₹ 150.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			(-50.00)
(5)	52 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम			
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-950.00)	50.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 950.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			(-50.00)
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-100.00)
	103 हथकरघा उद्योग			
(7)	17 राजकीय डिजाइन केंद्र काशीपुर का सुधारीकरण एवं परिधान प्रशिक्षण योजना			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-20.00)
	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	04 राज्य खनिज विकास परिषद			
	मूल	130.00	130.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			(-130.00)

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	--	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1)	32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना			
	मूल	4,000.00		
	पूरक	2,500.00	7,250.00	7,235.94
	पुनर्वि०	750.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 750.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	35 स्टार्टअप और स्टैंडअप इण्डिया उधमिता विकास			
	मूल	35.00		
			185.00	185.00
	पुनर्वि०	150.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को ₹ 150.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	50 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना			
	मूल	4,000.00		
			4,950.00	4,950.00
	पुनर्वि०	950.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 950.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 3,916.40 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 3,916.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 7,210.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य	

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			अधिक्य	बचत
2017-18	6,374.28	597.59	5,776.69	
2018-19	7,336.01	2,668.46	4,667.55	
2019-20	4,869.37	2,671.22	2,198.15	
2020-21	11,050.04	1,010.71	10,039.33	
2021-22	6,950.03	1,395.42	5,554.61	

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
102 लघु उद्योग				
(1)	11 ग्रोथ सेंटर का संचालन			
	मूल	500.00	500.00	79.25 (-)420.75
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
02 इलेक्ट्रॉनिक्स				
800 अन्य व्यय				
(2)	11 उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यु-सैक) का भवन निर्माण			
	मूल	80.00	80.00	68.87 (-)11.13
(3)	16 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का/आईटीडीए का सुदृढीकरण			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,467.98 (-)532.02

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
102 लघु उद्योग				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	98 नाबार्ड पोषित मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-706.42)	293.58	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2023 को ₹ 706.42 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	103 हथकरघा उद्योग			
	02 हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना तथा सहायता मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-2.10)	17.90	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 2.10 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स			
	004 अनुसंधान और विकास			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,412.00	2,412.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	800 अन्य व्यय			
(4)	15 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन मूल	229.00	229.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

		अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.		
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	105.00		
			811.42	
	पुनर्वि०	706.42	811.42	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2023 को ₹ 706.42 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय				
	<i>01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश</i>			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(2)	09 भूमि क्रय			
	मूल	0.00		
	पूरक	7,200.00	7,202.10	0.00
	पुनर्वि०	2.10		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 2.10 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2041	वाहन कर
3053	नागर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत-

मूल	1,47,19,18			
		1,72,89,57	1,54,09,97	(-)18,79,60
पूरक	25,70,39			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,89,85,77			
		1,89,85,78	1,39,64,72	(-)50,21,06
पूरक	1			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,47,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 1,879.60 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,879.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,570.39 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	5,902.65	4,959.37	943.28
2018-19	10,024.67	7,474.48	2,550.19
2019-20	12,236.09	10,280.67	1,955.42
2020-21	23,492.16	17,927.10	5,565.06
2021-22	21,836.30	15,440.84	6,395.46

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2041 वाहन कर

	00			
	800 अन्य व्यय			
(1)	03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान			
	मूल	91.05		
			1,38.23	89.72
	पूरक	47.18		(-)48.51

3053 नागर विमानन

	02 विमान पत्तन			
	102 हवाई अड्डा			
(2)	09 उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण			
	मूल	1,519.50		
			1,817.71	1,519.50
	पूरक	298.21		(-)298.21
(3)	10 राज्य सरकार द्वारा उडान योजना के तहत अनुदान			
	मूल	1,000.00	1,000.00	160.62
				(-)839.38
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	500.00	500.00	166.67
				(-)333.33

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	80 सामान्य			
	003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा			
(5)	03 नागरिक उड्डयन			
	मूल	124.10	124.10	72.86 (-)51.24
(6)	04 आपदा खोज एवं बचाव कार्यों हेतु अनुदान			
	मूल	270.00	270.00	90.00 (-)180.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान

मूल

17.01

5.01

0.00

(-)5.01

पुनर्वि०

(-)12.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 12.00 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 5,021.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 0.05 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	15,213.06	13,290.41	1,922.65
2018-19	18,781.35	1,395.18	17,386.17
2019-20	17,350.02	3,047.35	14,302.67
2020-21	44,806.02	4,885.88	39,920.14
2021-22	43,059.80	10,963.31	32,096.49

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	--------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

	02 विमान पत्तन			
	102 हवाई अड्डा			
(1)	03 हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण			
	मूल	3,500.00	3,500.00	2,525.70
				(-)974.30
(2)	07 हवाई पट्टी के निर्माण/विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकार/अध्याप्ति/ एन०पी०वी० का भुगतान			
	मूल	7,000.00	7,000.00	1,878.40
				(-)5,121.60

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

	00			
	101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण			
(3)	05 बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान			
	मूल	1,000.00		
			600.00	528.73
				(-)71.27
	पुनर्वि०	(-)400.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को ₹ 400.00 लाख की कमी ऋण में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

	02 विमान पत्तन			
	102 हवाई अड्डा			
(1)	02 हवाई पट्टी/वाटर एयरो ड्रम का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
050 भूमि तथा भवन				
(2)	10 हल्द्वानी में आई.एस.बी.टी. की स्थापना (एस.पी.ए.)			
	मूल	500.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-500.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2022 को ₹ 88.06 लाख तथा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 411.94 लाख की कमी वृहद् निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या 01 पर सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
050 भूमि तथा भवन				
(1)	03 परिवहन आयुक्त/संभागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय			
	मूल	100.00		
			475.88	475.28
	पुनर्वि०	375.88		(-0.60)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ₹ 375.88 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	14 अल्मोड़ा में आई.एस.बी.टी. का निर्माण			
	मूल	0.01		
			88.07	88.06
	पुनर्वि०	88.06		(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2022 को ₹ 88.06 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3) 15 बस अड्डों का निर्माण			
मूल	1,000.00		
		2,199.06	0.00
पुनर्वि०	1,199.06		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को ₹ 2,058.94 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ₹ 859.88 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए			
(4) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	350.01		
		600.01	(-)0.01
पुनर्वि०	250.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ₹ 250.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
800 अन्य व्यय			
(5) 03 चालकों के प्रशिक्षण हेतु आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण			
मूल	200.00		
		434.00	(-)0.22
पुनर्वि०	234.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ₹ 234.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 25 खाद्य		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2408	खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत-

मूल	2,10,32,53			
		2,63,29,73	1,81,43,61	(-81,86,12
पूरक	52,97,20			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4408	खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	3,24,00,01			
		3,24,00,01	3,09,86,01	(-14,14,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 8,186.12 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 8,186.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 5,297.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	23,770.61	18,235.07	5,535.54	
2018-19	25,769.11	17,123.37	8,645.74	
2019-20	22,558.98	4,852.17	17,706.81	
2020-21	22,314.17	9,213.81	13,100.36	
2021-22	16,357.86	10,307.17	6,050.69	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार

01 खाद्य

	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	04 राज्य खाद्य आयोग				
	मूल	108.01	108.01	57.47	(-)50.54
(2)	06 उपभोक्ता जागृति योजना				
	मूल	15.50	15.50	7.01	(-)8.49
	102 खाद्य सहायता				
(3)	05 शक्कर वितरण योजना अंतर्गत परिवहन एवं टैक्स का भुगतान				
	मूल	500.00	500.00	75.97	(-)424.03
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश				
	मूल	5,000.00	5,000.00	3,500.00	(-)1,500.00

3456 सिविल पूर्ति

00

	102 सिविल आपूर्ति योजना				
(5)	02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान				
	मूल	5,550.00	5,550.00	2,037.99	(-)3,512.01

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ		
	00		
	106 भार और माप का विनियमन		
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	100.00	100.00
			60.00
			(-)40.00
(7)	03 अधिष्ठान व्यय		
	मूल	680.50	681.70
			571.42
			(-)110.28
	पूरक	1.20	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	2408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार			
	01 खाद्य			
	102 खाद्य सहायता			
(1)	06 राज्य खाद्य योजना			
	मूल	3,000.00	2,012.50	0.00
				(-)2,012.50
	पुनर्वि०	(-)987.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2022 को ₹ 36.50 लाख, दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 80.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 871.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

	3456 सिविल पूर्ति			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50.02	50.02	0.00
				(-)50.02
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार

01 खाद्य

102 खाद्य सहायता

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.00

पूरक 5,000.00 5,871.00 5,871.00 0.00

पुनर्वि० 871.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 871.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 1,414.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 2,453.84 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 300.00 300.00 0.00 (-)300.00

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 26 पर्यटन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत-

मूल	1,33,89,26			
		1,34,09,26	1,20,22,63	(-)13,86,63
पूरक	20,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	2,23,00,03			
		2,23,00,03	1,91,61,40	(-)31,38,63
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,386.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,386.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	6,677.14	5,836.84	840.30
2018-19	7,701.96	6,206.35	1,495.61
2019-20	9,875.11	5,752.30	4,122.81
2020-21	10,491.05	6,490.35	4,000.70
2021-22	12,868.91	7,919.95	4,948.96

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	--------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	469.25	469.25	348.23
				(-)121.02
(2)	16 श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट			
	मूल	800.00	800.00	500.00
				(-)300.00
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(3)	07 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना			
	मूल	1,200.00		
			750.00	713.00
				(-)37.00
	पुनर्वि०	(-)450.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 450.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	18 राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	397.00	397.00	311.08
				(-)85.92

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1)	26 उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान			
	मूल	1,100.00		
			150.00	0.00
				(-)150.00
	पुनर्वि०	(-)950.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2023 को ₹ 950.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

3452 पर्यटन

	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद			
	मूल	6,259.00		
	पूरक	20.00	6,693.00	6,604.61
	पुनर्वि०	414.00		(-)88.39
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को ₹ 36.00 लाख की कमी वेतन, भत्ते तथा अन्य व्यय हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 450.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण और टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण			
	मूल	2,100.00		
			3,050.00	2,569.22
	पुनर्वि०	950.00		(-)480.78
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2023 को ₹ 950.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी			
	मूल	144.01		
			180.01	159.77
	पुनर्वि०	36.00		(-)20.24
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को ₹ 36.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 3,138.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	6,330.04	5,808.30	521.74	
2018-19	11,258.72	5,747.81	5,510.91	
2019-20	13,260.02	8,869.07	4,390.95	
2020-21	18,054.20	12,330.69	5,723.51	
2021-22	15,239.81	11,122.53	4,117.28	

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

	<i>01 पर्यटक अवसंरचना</i>			
	101 पर्यटन केन्द्र			
(1)	03 इको टूरिज्म			
	मूल	100.00	100.00	20.00
				(-)80.00
	<i>80 सामान्य</i>			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(2)	09 उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम) योजना			
	मूल	500.00	500.00	112.03
				(-)387.97

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	200.01	200.01	0.00	(-)200.01
-----	--------	--------	------	-----------

(2) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	1,000.01			
-----	----------	--	--	--

		0.01	0.00	(-)0.01
--	--	------	------	---------

पुनर्वि०	(-)1,000.00			
----------	-------------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी
3435	पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

दत्तमत-

मूल	8,52,76,62			
		8,52,76,62	7,61,84,31	(-)90,92,31
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4406	वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	90,47,39			
		90,47,40	52,60,20	(-)37,87,20
पूरक	1			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 9,092.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	63,379.87	55,089.43	8,290.44
2018-19	74,216.69	61,353.90	12,862.79
2019-20	1,03,027.35	63,128.38	39,898.97
2020-21	1,06,716.11	77,999.33	28,716.78
2021-22	1,29,809.11	1,12,066.37	17,742.74

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी		
	01 वानिकी		
	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण		
(1)	02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास		
	मूल	197.00	
		181.80	177.18
			(-)4.62
	पुनर्वि०	(-)15.20	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 15.20 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।		
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण		
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	4,786.43	4,786.43
			3,138.32
			(-)1,648.11
(3)	04 वन बंदोबस्त		
	मूल	29.40	29.40
			20.43
			(-)8.97
(4)	15 गूजर एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास योजना		
	मूल	155.00	
		51.66	51.66
			0.00
	पुनर्वि०	(-)103.34	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2023 को ₹ 103.34 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय, अनुरक्षण तथा लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।		
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	560.00	560.00
			348.71
			(-)211.29
	102 समाज तथा फार्म वानिकी		
(6)	09 हमारा पेड़ हमारा धन योजना		
	मूल	29.10	29.10
			23.90
			(-)5.20

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	10 हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना मूल 120.00 पुनर्वि० (-)71.16 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 71.16 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय, विज्ञापन, प्रचार तथा वृक्षारोपण में हुई बचत के कारण किए गए।	48.84	48.48	(-)0.36
(8)	800 अन्य व्यय 31 सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण मूल 23.00 पुनर्वि० (-)12.33 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 12.33 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।	10.67	7.76	(-)2.91
(9)	50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनिकरण योजना मूल 288.27	288.27	257.80	(-)30.47
(10)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 5,160.31	5,160.31	1,146.01	(-)4,014.30
(11)	03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता मूल 150.00 पुनर्वि० (-)100.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2023 को ₹ 100.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।	50.00	36.86	(-)13.14
(12)	05 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को सहायता मूल 55.00 पुनर्वि० (-)16.86 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2023 को ₹ 16.86 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।	38.14	27.42	(-)10.72

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
(13)	08 वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणि उद्यान केंद्रों का विकास मूल	595.14	198.37	198.20 (-)0.17
	पुनर्वि०	(-396.77		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2023 को ₹ 396.77 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(14)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	620.22	620.22	258.73 (-)361.49
	04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
(15)	103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा 03 राज्य प्राधिकरण मूल	32,500.07	32,500.07	22,972.22 (-)9,527.85
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

	01 वानिकी			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 उत्तराखंड वन विकास निधि का गठन मूल	10.01	10.01	0.00 (-)10.01
	800 अन्य व्यय			
(2)	14 मुठभेड में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार मूल	50.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि०	(-50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 50.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3) 51	ग्रामीण इको-पर्यटन योजना मूल 25.01	8.35	0.00 (-)8.35
	पुनर्वि० (-)16.66 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2023 को ₹ 16.66 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।		
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
(4) 110	वन्य जीवन परिरक्षण 10 टाइगर फाउंडेशन को सहायता मूल 1,200.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
	पुनर्वि० (-)200.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।		
(5) 12	पक्षियों का संरक्षण एवं उनके वासस्थलों का विकास मूल 185.00	28.34	0.00 (-)28.34
	पुनर्वि० (-)156.66 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2023 को ₹ 123.33 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 33.33 लाख की कमी उपकरण, मशीन एवं सज्जा, अन्य विभागीय व्यय, लघु निर्माण तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।		
(6) 13	हिम तेंदुए का संरक्षण/विकास मूल 67.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)67.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2023 को ₹ 67.00 लाख की कमी पारिश्रमिक, उपकरण, मशीन एवं सज्जा, अन्य विभागीय व्यय तथा लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।		
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:		
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी		
	01 वानिकी		
	070 संचार तथा भवन		
(1)	03 वन संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन		
	मूल	300.00	
		404.49	304.82
	पुनर्वि०	104.49	(-)99.67
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 104.49 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण		
(2)	11 वर्षा जल संरक्षण योजना		
	मूल	328.00	
		605.11	597.33
	पुनर्वि०	277.11	(-)7.78
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को ₹ 277.11 लाख की वृद्धि अनुरक्षण एवं लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
	105 वन उत्पाद		
(3)	04 लीसा		
	मूल	3,569.49	
		3,982.92	3,961.81
	पुनर्वि०	413.43	(-)21.11
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2023 को ₹ 413.43 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
	04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास		
	902 घटाइये राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से पूरी की गई राशि		
(4)	70 घटायें वापिस		
	मूल	(-)32,500.07	(-)32,500.07
		(-)22,972.22	(+)9,527.85
	₹ 22,972.22 लाख राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा हेतु प्रतिपूर्ति की गई, जिसे प्रारंभ में मुख्य शीर्ष-2406-04-103-03 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित की गई थी।		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
(vi)	₹ 3,787.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।		
(vii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
4406 वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 वानिकी</i>			
101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(1)	03 वन मोटर मार्गों, ट्रैक रूटों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण		
	मूल	500.01	500.01
			187.46
			(-)312.55
(2)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	300.00	300.00
			195.64
			(-)104.36
(3)	11 वनों की सुरक्षा योजना		
	मूल	250.00	250.00
			198.33
			(-)51.67
(4)	12 वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना		
	मूल	202.36	202.36
			110.82
			(-)91.54
(5)	15 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना		
	मूल	220.00	220.00
			187.89
			(-)32.11
800 अन्य व्यय			
(6)	09 इको टूरिज्म		
	मूल	150.00	150.00
			45.01
			(-)104.99
<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>			
110 वन्य जीव परिरक्षण			
(7)	03 वन्य जंतु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास		
	मूल	150.00	150.00
			76.22
			(-)73.78

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
(8)	06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम मूल	300.00	300.00	37.11 (-)262.89

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4406 वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	08 आग से वनों की सुरक्षा मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	13 वर्षा जल संरक्षण योजना मूल	150.00	150.00	0.00 (-)150.00
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	800 अन्य व्यय			
(5)	11 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूंजीगत कार्य मूल	150.00	150.00	0.00 (-)150.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीव परिरक्षण			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,390.00	1,390.00	0.00 (-)1,390.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

		अनुदान सं० 27 वन समाप्त.		
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	02 हल्द्वानी में चिड़ियाघर का निर्माण			
	मूल	500.01		
		482.76	0.00	(-)482.76
	पुनर्वि०	(-)17.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 17.25 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	175.00	175.00	0.00
				(-)175.00
	111 चिड़ियाघर			
(9)	02 मालसी जू का विस्तारीकरण और सुदृढीकरण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			
(ix)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			
	4406 वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
	10 अनुसन्धान एवं तकनीकी विकास			
	मूल	50.00		
		67.25	67.25	0.00
	पुनर्वि०	17.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को ₹ 17.25 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन

दत्तमत-

मूल	4,86,41,59			
		4,94,17,80	4,04,22,74	(-89,95,06)
पूरक	7,76,21			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

पूंजीगत:

4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	45,25,02			
		65,25,02	26,55,01	(-38,70,01)
पूरक	20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 8,995.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 8,995.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 776.21 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2017-18	26,082.30	23,849.63	2,232.67
2018-19	31,617.49	29,078.31	2,539.18
2019-20	34,401.62	29,372.10	5,029.52
2020-21	40,245.98	32,183.80	8,062.18
2021-22	40,340.64	33,014.51	7,326.13

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2403 पशु पालन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय

मूल	25,428.56	25,541.56	22,838.43	(-)2,703.13
पूरक	113.00			

101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,717.27	3,717.27	1,578.30	(-)2,138.97
-----	----------	----------	----------	-------------

(3) 13 कृत्रिम गर्भाधान हेतु बीएएफ केन्द्रों का संचालन

मूल	200.00	200.00	105.78	(-)94.22
-----	--------	--------	--------	----------

(4) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	981.99	1,020.58	637.55	(-)383.03
-----	--------	----------	--------	-----------

पुनर्वि० 38.59

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 38.59 लाख की वृद्धि बिमा एवं प्रीमियम हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 पशु तथा भैंस विकास			
(5)	11 पैरावेट की कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना			
	मूल	150.00		
			105.61	96.13
	पुनर्वि०	(-44.39)		(-9.48)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2023 को ₹ 5.80 लाख तथा दिनांक 10 फरवरी 2023 को ₹ 38.59 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	106 अन्य पशुधन विकास			
(6)	07 गौ सदन की स्थापना			
	मूल	1,500.00	1,500.00	1,141.97
				(-358.03)
	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	144.04		
	पूरक	0.01	133.83	99.12
	पुनर्वि०	(-10.22)		(-34.71)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2022 को ₹ 12.33 लाख की कमी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अंतरण में हुई बचत के कारण किए गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2023 को ₹ 2.11 लाख की वृद्धि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	2404 डेरी विकास			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान			
	मूल	1,431.70	1,431.70	1,280.77
				(-150.93)
	102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	100.00	100.00	54.70
				(-45.30)

		अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...			
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(10)	98 नाबार्ड मूल	1,000.00			
			1,300.00	763.76	
	पूरक	300.00		(-)536.24	
2405 मछली पालन					
00					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(11)	03 अधिष्ठान मूल	1,328.29	1,328.29	1,167.80	
				(-)160.49	
101 अन्तर्देशीय मछली पालन					
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,366.80	2,366.80	320.34	
				(-)2,046.46	
(13)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	312.40	312.40	36.22	
				(-)276.18	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2403 पशु पालन

00

104 भेड़ तथा ऊन विकास

05 भेड़-बकरी विकास विभाग

मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2403 पशु पालन

00

107 चारा और चारागाह विकास

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 03 चारा बैंक (भंडारण/वितरण गृह) की स्थापना (राज्य क्षेत्र)			
मूल	34.00		
		37.69	37.69
पुनर्वि०	3.69		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2023 को ₹ 3.69 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
(2) 113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	0.02		
		12.35	11.91
पुनर्वि०	12.33		(-)0.44
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2022 को ₹ 12.33 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 3,870.01 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 3,870.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	784.41	363.85	420.56
2018-19	2,727.78	896.86	1,830.92
2019-20	3,762.69	1,322.73	2,439.96
2020-21	2,895.55	848.89	2,046.66
2021-22	3,049.30	814.54	2,234.76

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

106 अन्य पशुधन विकास

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	98 नाबार्ड			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	2,000.00	2,973.71	1,498.09
	पुनर्वि०	(-26.29)		(-1,475.62)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 26.29 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,845.00	1,845.00	461.00
				(-1,384.00)
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	205.00	205.00	51.22
				(-153.78)
(4)	98 नाबार्ड			
	मूल	700.00	700.00	359.66
				(-340.34)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4404 डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

00

102 डेरी विकास परियोजनायें

04 डेयरी विकास निदेशालय निर्माण कार्य

मूल	500.00	500.00	0.00	(-500.00)
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य समाप्त.			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

10 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों आदि के भवन निर्माण/भूमि क्रय

मूल 50.00

76.29

76.29

0.00

पुनर्वि० 26.29

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 26.29 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

		अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास		
मुख्य लेखा शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:				
2401	फसल कृषि कर्म			
दत्तमत-				
	मूल	4,99,38,34		
			5,36,74,41	3,95,12,59
	पूरक	37,36,07		(-)1,41,61,82
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
भारित-				
	मूल	1,99,48		
			1,99,48	1,65,01
	पूरक	...		(-)34,47
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
पूंजीगत:				
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-				
	मूल	36,10,01		
			36,10,01	15,62,50
	पूरक	...		(-)20,47,51
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)			...
टिप्पणियां एवं टीकायें				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i)	₹ 14,161.82 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			
(ii)	₹ 14,161.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,736.07 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।			
(iii)	अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	
2017-18	27,110.74	21,563.47	5,547.27	
2018-19	30,744.45	26,282.24	4,462.21	
2019-20	32,885.99	26,087.16	6,798.83	
2020-21	42,067.36	32,351.15	9,716.21	
2021-22	40,186.03	33,233.98	6,952.05	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म				
00				
119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,380.02	7,380.02	4,090.00 (-)3,290.02
(2)	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	26,492.33		
	पूरक	3,681.79	30,302.03	25,746.08 (-)4,555.95
	पुनर्वि०	127.91		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 127.91 लाख की वृद्धि सामग्री एवं सम्पूर्ति, अनुरक्षण, लघु निर्माण तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(3)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान			
	मूल	825.00	825.00	671.00 (-)154.00
(4)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना			
	मूल	98.94	98.94	71.99 (-)26.95
(5)	18 भेषज कृषि विकास			
	मूल	50.00	50.00	26.33 (-)23.67
(6)	20 सुगंध पौधा केन्द्र सेलाकुई को अनुदान			
	मूल	400.00	400.00	300.00 (-)100.00

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	26 सगंध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के कलस्टर विकास			
	मूल	2,250.00	2,250.00	900.00 (-)1,350.00
(8)	28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना (माल्टा, पहाड़ी निम्बू, गलगल, आदि)			
	मूल	175.00	47.09	23.73 (-)23.36
	पुनर्वि०	(-)127.91		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 127.91 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	35 प्रत्येक जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम की स्थापना			
	मूल	110.00	110.00	40.00 (-)70.00
(10)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,078.96	1,078.96	358.31 (-)720.65
(11)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	1,380.00	2,353.05	1,236.05 (-)1,117.00
	पुनर्वि०	973.05		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को ₹ 973.05 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात

मूल 1,400.00 1,400.00 0.00 (-)1,400.00

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	32 राजकीय भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व संवर्धन के लिए योजना मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(3)	36 औद्योगिक उत्पादों का ढुलान मूल 100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(4)	97 बाह्य सहायतित परियोजनायें मूल 2,000.00	1,026.95	0.00 (-)1,026.95
	पुनर्वि० (-)973.05		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को ₹ 973.05 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।		

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 34.47 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

03 औद्योगिक विकास

मूल 199.48 199.48 165.01 (-)34.47

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	--------------------------------------

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (viii) ₹ 2,047.51 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ix) ₹ 775.16 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई **(परिशिष्ट-II)**
- (x) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

13 राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण

मूल	200.00	200.00	152.50	(-)47.50
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

- (xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा			
2203	तकनीकी शिक्षा			
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205	कला तथा संस्कृति			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211	परिवार कल्याण			
2217	शहरी विकास			
2220	सूचना तथा प्रसार			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401	फसल कृषि कर्म			
2403	पशु पालन			
2404	डेरी विकास			
2405	मछली पालन			
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2425	सहकारिता			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505	ग्राम रोजगार			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2701	मध्यम सिंचाई			
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास			
2810	नई और नवीकरणीय उर्जा			
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
3452	पर्यटन			

दत्तमत-

मूल	17,02,84,70			
पूरक	36,08,48	17,38,93,18	11,04,33,69	(-)6,34,59,49
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 60,01 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,62,55 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4406	वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	3,19,81,08			
		3,55,97,84	2,33,57,81	(-1,22,40,03
पूरक	36,16,76			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 63,459.49 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 63,459.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,608.48 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	1,00,620.97	76,108.62	24,512.35
2018-19	1,20,062.34	87,954.75	32,107.59
2019-20	1,20,953.24	82,957.32	37,995.92
2020-21	1,21,166.22	93,289.04	27,877.18
2021-22	1,50,760.08	87,061.78	63,698.30

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

- 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता
- (1) 03 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति
मूल 3,024.00 3,024.00 2,464.34 (-)559.66

- 112 स्कूलों को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम
- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 4,520.40 4,520.40 3,970.57 (-)549.83

- (3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश
मूल 1,000.00 1,000.00 467.56 (-)532.44

02 माध्यमिक शिक्षा

- 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय
- (4) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
मूल 2,170.27 2,170.27 1,905.01 (-)265.26

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	113 समग्र शिक्षा			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	13,316.15	13,316.15	11,202.30 (-)2,113.85
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	1,480.16	1,480.16	1,056.30 (-)423.86
	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(7)	03 पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नालोजी पन्तनगर को सहायक अनुदान मूल	353.50	353.50	33.93 (-)319.57
	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
	00			
	104 खेलकूद			
(8)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान मूल	30.00	30.00	23.23 (-)6.77
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - एलोपैथी			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	18,000.01	18,000.01	1,262.00 (-)16,738.01
(10)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	2,400.01	2,400.01	297.54 (-)2,102.47
	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(11)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी मूल	760.00	760.00	163.82 (-)596.18

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2217 शहरी विकास			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(12) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,408.00		
		1,331.82	861.86
पुनर्वि०	(-76.18		(-469.96
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 76.18 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(13) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	676.20	676.20	272.00
			(-404.20
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(14) 07 एस.सी.पी/टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
मूल	101.54	101.54	67.52
			(-34.02
102 आर्थिक विकास			
(15) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,734.80	2,734.80	1,486.54
			(-1,248.26
(16) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			
मूल	20.08		
		36.65	24.52
पूरक	16.57		(-12.13
(17) 07 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
मूल	2,640.00	2,640.00	1,903.50
			(-736.50
(18) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	150.00	150.00	51.85
			(-98.15

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	277 शिक्षा			
(19)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,961.00	2,961.00	76.00 (-)2,885.00
(20)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
	मूल	373.01	373.01	304.41 (-)68.60
(21)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
	मूल	696.01		
	पुनर्वि०		652.93	361.03 (-)291.90
		(-)43.08		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2023 को ₹ 15.00 लाख, दिनांक 13 मार्च 2023 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 18.08 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(22)	07 अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना			
	मूल	525.00	525.00	79.79 (-)445.21
(23)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
	मूल	610.03	610.03	299.39 (-)310.64
(24)	16 अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
	मूल	1,150.00	1,150.00	41.87 (-)1,108.13
(25)	18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना			
	मूल	289.42	289.42	166.91 (-)122.51
(26)	20 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु सेमिनार / कार्यशाला / सर्वेक्षण / अनुसंधान / प्रचार का आयोजन करना			
	मूल	20.00	20.00	6.03 (-)13.97
(27)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,662.00	1,662.00	949.56 (-)712.44

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	283 आवास			
(28)	02 अटल आवास योजना			
	मूल	200.00	200.00	171.60
				(-)28.40
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	102 बाल कल्याण			
(29)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,259.70		
			7,467.70	2,764.35
				(-)4,703.35
	पूरक	208.00		
(30)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,724.32		
			2,013.34	1,564.46
				(-)448.88
	पूरक	289.02		
(31)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	806.63		
			829.75	291.68
				(-)538.07
	पूरक	23.12		
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(32)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,003.96		
			2,122.83	573.29
				(-)1,549.54
	पूरक	118.87		
	102 राष्ट्रीय पारिवारिक हितलाभ योजना			
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	442.47		
			444.90	109.93
				(-)334.97
	पूरक	2.43		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(34)	03 किसान पेंशन योजना			
	मूल	840.00		
			558.99	449.74
	पुनर्वि०	(-281.01)		(-109.25)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 281.01 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(35)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,702.31		
			7,758.51	3,396.55
	पूरक	56.20		(-4,361.96)
(36)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	856.00		
			862.25	377.15
	पूरक	6.25		(-485.10)
(37)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,057.40		
			2,057.41	873.22
	पूरक	0.01		(-1,184.19)
(38)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	229.40	229.40	97.03
				(-132.37)
(39)	114 तिलहन विकास			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16.20	16.20	1.74
				(-14.46)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(40)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,118.14	2,118.14	1,015.25
				(-),102.89
(41)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,346.08		
			1,350.79	563.68
	पूरक	4.71		(-),787.11
(42)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	221.79	221.79	90.92
				(-),130.87
2403 पशु पालन				
	00			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	957.98	957.98	46.00
				(-),911.98
(44)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	305.13	305.13	5.11
				(-),300.02
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी				
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(45)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	150.06	150.06	73.46
				(-),76.60
(46)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण			
	मूल	414.91	414.91	121.61
				(-),293.30
	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(47)	04 बांस तथा बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण			
	मूल	335.00		
			189.79	178.78
				(-),11.01
	पुनर्वि०	(-),145.21		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 145.21 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीवन परीक्षण			
(48)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	269.00	269.00	138.48
				(-)130.52
	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(49)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	18,977.18		
			16,714.85	10,242.94
				(-)6,471.91
	पुनर्वि०	(-)2,262.33		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 753.46 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 1,508.87 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(50)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	3,215.48		
			2,768.79	1,091.16
				(-)1,677.63
	पुनर्वि०	(-)446.69		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 251.35 लाख, दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 27.14 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 168.20 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय तथा सहायक अनुदान (सामान्य गार वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
(51)	02 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
	मूल	0.00		
			931.54	50.00
				(-)881.54
	पूरक	931.54		
(52)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	0.00		
			103.28	60.80
				(-)42.48
	पूरक	103.28		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2701 मध्यम सिंचाई			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(53) 03 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य			
मूल	200.00	200.00	58.85 (-)141.15
2810 नई और नवीकरणीय उर्जा			
02 सोलर एनर्जी			
102 सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम			
(54) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	736.10	736.10	16.00 (-)720.10
60 अन्य			
800 अन्य व्यय			
02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
(55) मूल	28.12	28.12	11.58 (-)16.54
3452 पर्यटन			
80 सामान्य			
104 संवर्धन तथा प्रचार			
(56) 02 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना			
मूल	250.00	250.00	55.00 (-)195.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	324.90	324.90	0.00 (-)324.90
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	36.10	36.10	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)36.10
2203 तकनीकी शिक्षा			
00			
112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(3) 04 इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान			
मूल	25.00	25.00	0.00
वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)25.00
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(4) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06 लोक स्वास्थ्य			
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(5) 02 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना			
मूल	367.65	367.65	0.00
			(-)367.65
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(6) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	433.00	433.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)433.00
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
102 आर्थिक विकास			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7) 05 शिल्पी ग्राम योजना			
मूल	25.00		
		14.00	
पुनर्वि०	(-11.00)	0.00	(-14.00)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2022 को ₹ 11.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गार वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
03 प्रशिक्षण			
102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	143.56	143.56	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(9) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	360.00		
		253.87	
पुनर्वि०	(-106.13)	0.00	(-253.87)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को ₹ 106.13 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गार वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	40.00		
	पुनर्वि०	(-)28.10	11.90	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को ₹ 15.53 लाख, दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 11.60 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 0.97 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			(-)11.90
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	36.54	36.54	0.00
				(-)36.54
	2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(13)	04 बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2023 को ₹ 50.00 लाख की कमी लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

- 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
102 आर्थिक विकास

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 08 सफाई कर्मचारी की सीवेज एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु पर अनुदान	20.00	31.00	0.00
मूल		31.00	
पुनर्वि०	11.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2022 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
103 महिला कल्याण			
(2) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	5,068.15	5,349.16	(-)255.90
पुनर्वि०	281.01		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 281.01 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(3) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	7,560.00	7,560.00	(+)157.08
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीवन परिरक्षण			
(4) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	21.00	49.10	(-)15.53
पुनर्वि०	28.10	33.57	
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को ₹ 15.53 लाख, दिनांक 31 जनवरी 2023 को ₹ 11.60 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 0.97 लाख की वृद्धि मजदूरी, अनुरक्षण तथा लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>04 वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</i>			
101 राष्ट्रीय वनीरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	540.00		
		791.34	556.13
			(-)235.21
पुनर्वि०	251.34		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को ₹ 106.13 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 145.21 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
2505 ग्राम रोजगार			
<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</i>			
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
(6) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,158.87		
पूरक	315.55	7,206.03	7,206.03
पुनर्वि०	2,731.61		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 753.46 लाख, दिनांक 10 जनवरी 2023 को ₹ 469.28 लाख, दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 1,004.28 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 504.59 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास			
<i>01 बाढ़ नियंत्रण</i>			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(7) 03 निर्माण			
मूल	300.00		
		350.00	349.81
			(-)0.19
पुनर्वि०	50.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2023 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

**पूँजीगत-
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 12,240.03 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 12,240.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 3,616.76 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	30,623.93	24,435.21	6,188.72
2018-19	33,133.26	23,505.53	9,627.73
2019-20	32,665.51	23,800.03	8,865.48
2020-21	42,818.73	30,320.38	12,498.35
2021-22	61,685.11	31,381.05	30,304.06

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

- 01 सामान्य शिक्षा*
- 202 माध्यमिक शिक्षा
- (1) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
- | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
| मूल | 300.00 | 300.00 | 117.00 | (-)183.00 |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
- 02 तकनीकी शिक्षा*
- 105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान
- (2) 03 पन्त कालेज आफ टेक्नॉलाजी पंतनगर
- | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
| मूल | 376.56 | | | |
| | | 331.57 | 159.56 | (-)172.01 |
- पुनर्वि० (-)44.99
- प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 44.99 लाख की कमी पूँजीगत परिसम्पतियों हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	04 कला और संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(3)	03 कला और संस्कृति का संवर्धन			
	मूल	20.00	20.00	14.71
				(-)5.29
	4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल आपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,500.00		
			4,991.76	3,934.32
				(-)1,057.44
	पूरक	3,491.76		
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवा			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,863.00	1,863.00	846.55
				(-)1,016.45
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	207.00	207.00	94.06
				(-)112.94
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(7)	02 अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	3,162.28	3,162.28	255.02
				(-)2,907.26
(8)	04 विधायक निधि			
	मूल	6,407.75	6,407.75	4,998.00
				(-)1,409.75
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	200.00	200.00	168.17
				(-)31.83

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	06 नलकूप, नहर एवं लिफ्ट निर्माण/पुनर्निर्धार कार्य			
	001 निर्देशन एवं प्रशासन			
(10)	02 निर्माण कार्य			
	मूल	250.00	250.00	199.96 (-)50.04
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	400.00	400.00	123.30 (-)276.70
(12)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	50.00	50.00	13.70 (-)36.30
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(13)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	4,800.00	4,800.00	3,265.84 (-)1,534.16
	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(14)	04 पर्यटन विकास की नई योजना (राज्य सेक्टर)			
	मूल	200.00	200.00	82.68 (-)117.32

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
(1)	03 राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण			
	मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00

वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(2) 04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(3) 04 अनावासीय भवनों का निर्माण			
मूल	300.00	300.00	0.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)300.00
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(4) 03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल आपूर्ति			
101 शहरी जल आपूर्ति			
(5) 05 शहरी पेय जल			
मूल	199.65	199.65	0.00
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)199.65
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(6) 02 हैण्ड पम्पों की स्थापना			
मूल	473.00	473.00	0.00
			(-)473.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(7) 03 स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम शेयर कैपिटल			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
277 शिक्षा			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	284.70	284.70	0.00 (-)284.70
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9) 05 अनुसूचित जाति के बालकों/बालिकाओं हेतु प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालय का निर्माण			
मूल	300.00	300.00	0.00 (-)300.00
वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(10) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	375.35	375.35	0.00 (-)375.35
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
102 बाल कल्याण			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	231.86	231.86	0.00 (-)231.86
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
800 अन्य व्यय			
(12) 03 निदेशालय भवन का निर्माण			
मूल	125.00	125.00	0.00 (-)125.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

	00			
	102 भूजल			
(13)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2023 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(14)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	668.44	668.44	0.00
				(-)668.44
	वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)			

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(1)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी			
	मूल	50.00		
			94.99	99.99
	पुनर्वि०	44.99		(+)5.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 44.99 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पतियों हेतु सहायक अनुदान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल			
(2) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान			
मूल	400.00		
		500.00	0.00
पुनर्वि०	100.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2023 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा			
2203	तकनीकी शिक्षा			
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205	कला तथा संस्कृति			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211	परिवार कल्याण			
2217	शहरी विकास			
2220	सूचना तथा प्रसार			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401	फसल कृषि कर्म			
2403	पशु पालन			
2404	डेरी विकास			
2405	मछली पालन			
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2425	सहकारिता			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505	ग्रामीण रोजगार			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2701	मध्यम सिंचाई			
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास			
2810	नई एवं नवीकरणीय उर्जा			
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
3452	पर्यटन			

दत्तमत-

मूल	4,37,24,44			
पूरक	29,16,53	4,66,40,97	2,71,94,94	(-1,94,46,03
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,03,58 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में हुई।

अनुदान के दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 1,71,35 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2023 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,39,59,18			
		1,52,77,30	1,07,07,99	(-)45,69,31
पूरक	13,18,12			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2023)				...

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(i)	₹ 19,446.03 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।		
(ii)	₹ 19,446.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 2,916.53 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।		
(iii)	अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-		

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2017-18	31,542.40	22,508.42	9,033.98
2018-19	36,387.92	24,178.87	12,209.05
2019-20	38,432.74	23,902.84	14,529.90
2020-21	39,264.30	28,014.30	11,250.00
2021-22	42,625.62	28,652.09	13,973.53

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

(1)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता				
	02 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति मूल	672.00			
			664.00	547.63	(-)116.37
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को ₹ 8.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।				

(2)	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	403.13	403.13	336.86	(-)66.27
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश				
	मूल	208.26	208.26	33.47	(-)174.79

02 माध्यमिक शिक्षा

(4)	113 समग्र शिक्षा				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,045.58	3,045.58	1,209.11	(-)1,836.47

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	430.56	430.56	134.35 (-)296.21
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(6)	02 प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल	15.00	15.00	8.69 (-)6.31
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी				
110 अस्पताल तथा औषधालय				
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,764.00	2,764.00	209.00 (-)2,555.00
(8)	02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना मूल	357.26	357.26	270.18 (-)87.08
(9)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	75.76	75.76	42.51 (-)33.25
(10)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	359.00	359.00	44.73 (-)314.27
06 लोक स्वास्थ्य				
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण				
(11)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी मूल	160.00	160.00	32.69 (-)127.31
2211 परिवार कल्याण				
00				
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	303.50		
			303.52	143.30
	पूरक	0.02		(-)160.22
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
(13)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन			
	मूल	307.47		
			302.98	59.13
	पुनर्वि०	(-)4.49		(-)243.85
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 मार्च 2023 को ₹ 2.49 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 2.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता, व्यावसायिक एवं विशेष सुविधाओं के भुगतान, संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा ईंधन की क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(14)	03 जनजाति कल्याण निदेशालय			
	मूल	241.10		
			243.10	214.94
	पुनर्वि०	2.00		(-)28.16
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि कार्यालय वाहन की क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(15)	04 उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान			
	मूल	95.22		
			97.71	71.87
	पुनर्वि०	2.49		(-)25.84
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 मार्च 2023 को ₹ 2.49 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सुविधाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(16)	05 जनजातीय सलाहकार परिषद			
	मूल	32.26		
			41.48	27.03
	पूरक	9.22		(-)14.45

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	06 जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय का संचालन मूल	77.69	77.69	39.80 (-)37.89
(18)	102 आर्थिक विकास 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,000.00	1,000.00	306.02 (-)693.98
(19)	05 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाएँ मूल	30.00	30.00	24.90 (-)5.10
(20)	06 बुक्सा और राजी जनजातियों का विकास मूल	100.00	25.00	22.89 (-)2.11
	पुनर्वि०	(-)75.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 75.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(21)	277 शिक्षा 03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और उसका रखरखाव मूल	258.67	258.67	193.05 (-)65.62
(22)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	605.52	605.52	456.05 (-)149.47
(23)	07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों / छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं के लिए अनुदान मूल	1,005.00	1,005.00	884.01 (-)120.99
(24)	10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सिविल एवं ऐलाइड सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल	70.00	55.00	53.38 (-)1.62
	पुनर्वि०	(-)15.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 15.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	140.00	140.00	8.23 (-131.77)
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	02 रोजगार सेवाएं			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(26)	02 शिक्षण/मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना मूल	31.52		
			33.99	28.47 (-5.52)
	पूरक	2.47		
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(27)	02 दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु भत्ता मूल	475.61	475.61	383.00 (-92.61)
	102 बाल कल्याण			
(28)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,347.82		
	पूरक	1,155.46	2,484.66	936.78 (-1,547.88)
	पुनर्वि०	(-18.62)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 18.62 लाख की कमी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए. में अंतरण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(29)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	161.59		
	पूरक	252.72	432.93	103.70 (-329.23)
	पुनर्वि०	18.62		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 18.62 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(30)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निराश्रितों का कल्याण 02 वृद्धावस्था पेंशन मूल	3,200.00	3,200.00	1,844.61 (-1,355.39)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	200 अन्य कार्यक्रम			
(31)	02 किसान पेंशन योजना			
	मूल	125.00	125.00	74.75 (-)50.25
(32)	03 समन्वित बाल विकास योजनाओं अनुसूचित जनजातीय केंद्र पर राज्य सरकार का मानदेय			
	मूल	775.74		
	पूरक		979.12	613.88 (-)365.24
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
(33)	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	69.54		
	पूरक		86.48	54.48 (-)32.00
	पुनर्वि०	16.94		
	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(34)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,055.51		
	पूरक	12.49	926.77	456.77 (-)470.00
	पुनर्वि०	(-141.23)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 130.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 11.23 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(35)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	118.00		
	पूरक	1.39	103.79	50.55 (-)53.24
	पुनर्वि०	(-15.60)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 14.44 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 1.16 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	525.58	525.58	76.50
				(-)449.08
(37)	04 उत्तराखण्ड में जनजातीय क्षेत्रों/व्यक्तिगत विकास हेतु औद्योगिक विकास			
	मूल	35.00		
			29.50	25.24
				(-)4.26
	पुनर्वि०	(-)5.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 5.50 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(38)	14 सघन एवं बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की योजना			
	मूल	27.00	27.00	12.50
				(-)14.50
(39)	16 मानव संसाधन विकास की योजना			
	मूल	107.00	107.00	45.25
				(-)61.75
(40)	17 भेषज विकास इकाई			
	मूल	128.78	128.78	0.84
				(-)127.94
(41)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	70.40	70.40	13.77
				(-)56.63
2403 पशु पालन				
00				
(42)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	495.26	495.26	23.83
				(-)471.43
(43)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	162.04		
			158.48	2.65
				(-)155.83
	पुनर्वि०	(-)3.56		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2023 को ₹ 3.56 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीवन परीक्षण			
(44)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	275.00	275.00	59.49
				(-215.51)
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	003 प्रशिक्षण			
(45)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	523.12		
			460.91	174.85
				(-286.06)
	पुनर्वि०	(-62.21)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 को ₹ 62.21 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(46)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,365.33		
			1,889.21	1,008.34
				(-880.87)
	पुनर्वि०	(-476.12)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 110.01 लाख तथा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 366.11 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(47)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	275.11		
			238.44	84.04
				(-154.40)
	पुनर्वि०	(-36.67)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2022 को ₹ 36.67 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(48)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	0.00		
			19.39	9.60
	पूरक	19.39		(-)9.79
2701 मध्यम सिचाई				
	80 सामान्य			
	001 निर्देशन एवं प्रशासन			
(49)	04 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य			
	मूल	250.00	250.00	29.10
				(-)220.90
2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास				
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(50)	02 बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु			
	मूल	200.00	200.00	167.80
				(-)32.20
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग				
	00			
	103 हथकरघा उद्योग			
(51)	05 थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना			
	मूल	50.00	50.00	15.74
				(-)34.26
3452 पर्यटन				
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(52)	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान			
	मूल	250.00	250.00	124.73
				(-)125.27

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	2202 सामान्य शिक्षा			
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	69.00	69.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)69.00
(2)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	7.00	7.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)7.00
	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	105 बहुशिल्प			
(3)	03 सामान्य पॉलिटेक्निक			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	2205 कला तथा संस्कृति			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4)	02 जनजातीय कला एवं संस्कृति के अभिलेख, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(5)	03 पारंपरिक वाद्ययंत्रों और वेशभूषा की खरीदारी			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.00
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(6)	02 राज्य में मातृत्व हेतु ईजा-बोर्ड शगुन योजना			
	मूल	74.40	74.40	0.00
				(-)74.40

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(7)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	83.00		
			68.33	0.00
				(-)68.33
	पुनर्वि०	(-)14.67		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को ₹ 14.67 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	102 आर्थिक विकास			
(8)	04 शिल्पी ग्राम योजना			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 10.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	277 शिक्षा			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,460.00	1,460.00	0.00
				(-)1,460.00
(11)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-)300.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12) 09 इंजीनियरिंग और मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना			
मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-50.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 50.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(13) 11 बुक्सा जनजाति के लिए महाराजा जगत देव शिक्षा कोष			
मूल	30.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-30.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 30.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(14) 12 थारू जनजातियों के लिए चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना			
मूल	50.00		
		20.00	(-)20.00
पुनर्वि०	(-30.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 30.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
283 आवास			
(15) 02 अटल आवास योजना			
मूल	150.00	150.00	(-)150.00
वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष सहायता			
(16) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	400.00	400.00	(-)400.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	600.00	600.00	0.00
				(-)600.00
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	03 प्रशिक्षण			
	102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(18)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	19.03	19.03	0.00
				(-)19.03
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(19)	10 केन्द्र पोषित सिल्क समग्र योजना			
	मूल	17.29	17.29	0.00
				(-)17.29
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(20)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	81.00	81.00	0.00
				(-)81.00
(21)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	9.00		
			5.40	0.00
				(-)5.40
	पुनर्वि०	(-)3.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को ₹ 3.60 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।			
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	33.06	33.06	0.00
				(-)33.06

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास				
80 सामान्य				
103 सिविल निर्माण कार्य				
(23)	03 अनुरक्षण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
2810 नई एवं नवीकरणीय उर्जा				
01 बायो उर्जा				
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(24)	03 बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता			
	मूल	113.70	113.70	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।			(-)113.70
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
2401 फसल कृषि कर्म				
00				
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	342.90		
	पूरक	0.01	484.14	448.81
	पुनर्वि०	141.23		(-)35.33
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 130.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 11.23 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	38.21		
			53.81	49.96
	पुनर्वि०	15.60		(-)3.85
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 14.44 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 1.16 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(3)	05 राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण			
	मूल	84.01		
	पुनर्वि०	5.50	89.51	88.32
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को ₹ 5.50 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			(-)1.19
2403 पशु पालन				
	00			
	102 पशु तथा भैंस विकास			
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	0.02		
	पुनर्वि०	3.56	3.58	3.57
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2023 को ₹ 3.56 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			(-)0.01
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी				
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीवन परीक्षण			
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	10.01		
	पुनर्वि०	3.60	13.61	13.29
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को ₹ 3.60 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			(-)0.32
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	003 प्रशिक्षण			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,575.60		
पुनर्वि०	428.32	2,003.92	1,937.53
			(-)66.39
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 को ₹ 62.21 लाख तथा दिनांक 22 मार्च 2023 को ₹ 366.11 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 4,569.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 4,569.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2022 को प्राप्त ₹ 1,318.12 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2017-18	10,916.63	7,251.67	3,664.96	
2018-19	15,117.59	9,709.35	5,408.24	
2019-20	13,221.59	9,777.38	3,444.21	
2020-21	15,766.54	8,589.47	7,177.07	
2021-22	21,407.23	11,918.13	9,489.10	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
(1)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	266.60	266.60	102.65
				(-)163.95
	<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>			
	104 बहुशिल्प			
(2)	03 राजकीय बहुधन्वी संस्थानों के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण			
	मूल	200.00	200.00	119.93
				(-)80.07

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
	101 युवा छात्रावास			
(3)	02 प्रादेशिक विकास दल			
	मूल	100.00	100.00	70.00
				(-)30.00
	4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल आपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(4)	02 हैण्ड पम्पों की स्थापना			
	मूल	121.00	121.00	3.87
				(-)117.13
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	400.00		
			1,474.51	1,107.62
	पूरक	1,074.51		(-)366.89
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवा			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	414.00	414.00	141.72
				(-)272.28
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	46.00	46.00	15.75
				(-)30.25
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
(8)	05 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बेसिक सुविधाओं में सुधार			
	मूल	150.00	150.00	111.36
				(-)38.64
(9)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण में मौलिक सुविधाएं			
	मूल	150.00	150.00	69.68
				(-)80.32

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(10)	04 विधायक निधि			
	मूल	1,349.00	1,349.00	1,074.00
				(-)275.00
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(11)	02 नलकूपों में निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	69.74
				(-)130.26
	06 नलकूप, नहर एवं लिफ्ट नहर निर्माण/पुनरोद्धार			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	02 निर्माण कार्य			
	मूल	250.00		
			350.00	266.14
				(-)83.86
	पूरक	100.00		
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	90.00	90.00	61.20
				(-)28.80
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(14)	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	250.00	250.00	74.07
				(-)175.93
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(15)	02 नया निर्माण कार्य			
	मूल	10.00	10.00	0.70
				(-)9.30

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	03 चालु निर्माण कार्य मूल	4,500.00	4,500.00	3,178.68 (-)1,321.32
(17)	04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल	170.26	170.26	56.75 (-)113.51

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(18)	02 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान मूल	200.00	200.00	44.24 (-)155.76

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(1)	05 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा) मूल	342.81		
			0.58	0.00 (-)0.58

पुनर्वि० (-)342.23

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 342.23 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।

04 कला और संस्कृति

	800 अन्य व्यय			
(2)	02 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सांस्कृतिक भवन/सामुदायिक केन्द्र आदि का निर्माण मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(3)	03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण			
	मूल	0.00		
		43.61	0.00	(-)43.61
	पूरक	43.61		
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(4)	03 स्वरोजगार शेयर कैपिटल (49 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)			
	मूल	30.00	30.00	0.00
	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)30.00
	800 अन्य व्यय			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	31.86		
		131.86	0.00	(-)131.86
	पूरक	100.00		
	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(6)	02 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आधिक्य व्यय का भुगतान			
	मूल	160.48	160.48	0.00
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)160.48

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान मूल	500.00		
		492.87	0.00	(-)492.87
	पुनर्वि०	(-)7.13		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 7.13 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			

4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

	00			
	102 भूजल			
(8)	03 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान मूल	20.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।			

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(9)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	105.54	105.54	0.00
				(-)105.54
	वर्ष 2021-22 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2023)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	03 खेलकूद तथा युवा सेवा
	102 खेलकूद स्टेडियम

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	03 इंडोर हाल व होस्टल का निर्माण			
	मूल	100.00		
			442.23	
	पुनर्वि०	342.23	442.23	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2023 को ₹ 342.23 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(2)	03 मेरा गाँव , मेरी सड़क			
	मूल	248.56		
			255.69	
	पुनर्वि०	7.13	255.69	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को ₹ 7.13 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(3)	02 जनजाति क्षेत्रों हेतु गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण			
	मूल	90.00		
			110.00	
	पुनर्वि०	20.00	110.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2023 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2022-2023 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	04	2014- न्याय प्रशासन	92,15
2	04	2014- न्याय प्रशासन	34,45
3	05	2015- निर्वाचन	5,07
4	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	45,00,00
5	07	2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	27,31,44
6	07	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	15,63,99
7	07	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	15,37,00
8	09	2051- लोक सेवा आयोग	27,12,24
9	10	2056- जेलें	3,00,00
10	13	2215- जल पूर्ति तथा सफाई	12,42,92
11	13	2217- शहरी विकास	20,00
12	15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	49,98
13	16	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	97,11
14	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	29,04,00
15	30	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	60,01
योग			1,78,50,36

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट प्राक्कलन	
		राजस्व	पूंजीगत (₹ हजार में)
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
2	17-कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	...	1
3	24-परिवहन
4	25-खाद्य	...	1
5	29-औद्योगिक विकास	...	1
योग		...	3

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	1,27,76	...	(+)1,27,76
...	23,68,77	...	(+)23,68,76
...	5	...	(+)5
...	24,53,84	...	(+)24,53,83
...	7,75,16	...	(+)7,75,15
...	57,25,58	...	(+)57,25,55

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (xi), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2022 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2022-23	31 मार्च 2023 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701-मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(-)93.53#	(-)93.53
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)49.75#	(-)49.75
कार्यशाला उचंत	(-)44.38#	(-)44.38
योग	(-)187.66#	(-)187.66
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

पिछले वर्षों की वसूली राशि को सम्मिलित किए जाने के कारण प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया गया है।

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xi), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2022 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2022-23	31 मार्च 2023 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)94.62#	(+)94.62
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)111.18#	(-)111.18
योग	(-)16.56#	(-)16.56
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)35.76#	(+)35.76
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)2.35#	(+)2.35
योग	(+)38.11#	(+)38.11
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)508.79#	(+)508.79
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)12.00#	(-)12.00
कार्यशाला उचंत
योग	(+)496.79#	(+)496.79

पिछले वर्षों की वसूली राशि को सम्मिलित किए जाने के कारण प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया गया है।

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xiii), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2022 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2022-23	31 मार्च 2023 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-) 953.97#	(-) 953.97
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,704.58#	(+) 2,704.58
योग	(+) 1,750.61#	(+) 1,750.61

पिछले वर्षों (2004 से 2009) से संबंधित ₹ 40,199.61 लाख की वसूली राशि को शामिल करने के कारण प्रारंभिक शेष राशि में बदलाव किया गया है।

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi>

Printed by: Censer Advertising Pvt Ltd. (M) 9810213218